ज़कात के मसाईल

लेखक
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर
नई दिल्ली-25

Www.IslamicBooks.Website

ज़कात के मसाइल

लेखक
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली-110025

Www.IslamicBooks.Website

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

पुस्तक का नाम : ज़कात के मसाइल

लेखक : मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशन वर्ष : 2008

मूल्य : 50/-

प्रकाशक : **अल-किताब इन्टर नेशनल**
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

मिलने का पता : **S. N. PUBLISHERS**
P. O. BOX NO. 9728
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-110025

Www.IslamicBooks.Website

विषय सूची

- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
- नीयत के मसाइल
- ज़कात की अनिवार्यता
- ज़कात की श्रेष्ठता
- ज़कात का महत्व
- ज़कात क़ुरआन मजीद की रौशनी में
- ज़कात की शर्तें
- ज़कात लेने और देने के शिष्टाचार
- वे चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब है
- वे चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब नहीं
- ज़कात कहां दी जाए
- ज़कात के ग़ैर हक़दार लोग
- सवाल करने की निन्दा
- सदक़ा फ़ित्र के मसाइल
- नफ़्ली सदक़ा
- फुटकर मसाइल
- ज़ईफ़ और मौज़ूअ अहादीस

Www.IslamicBooks.Website

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ ﴾ [الحج: ٤١]

"(हम उन लोगों की ज़रूर मदद करते हैं) जिन्हें अगर हम ज़मीन में सत्ता दें तो नमाज़ क़ायम करें, ज़कात अदा करें, भलाई का हुक्मदें और बुराइयों से रोकें।" (41 : 22)

Www.IslamicBooks.Website

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

अपनी बात

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

नमाज़ के बाद ज़कात इस्लाम का बुनियादी स्तंभ है, ज़कात माली इबादत है जो हर निसाब वाले मुसलमनों पर साल में एक बार फ़र्ज़ की गई है "ज़कात के मसाइल" में ज़कात की फ़र्ज़ियत, अहमियत, फ़ज़ीलत और अन्य छोटे बड़े मसाइल किताब व सुन्नत की रौशनी में प्रस्तुत किए गए हैं, इन मसाइल को जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।

किताब के लेखक प्रसिद्ध विद्वान मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी हैं, शैख़ कीलानी सालों से सऊदी अरब रियाज़ के जामिअतुल मुल्क सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ में अध्यापक हैं, आप ने "तफ़हीमुस्सुन्नह" के नाम से दीन के बुनियादी स्तंभों और अन्य अहकाम व मसाइल पर बड़ी लाभकारी और सादा किताबें तैयार की हैं। तफ़हीमुस्सन्नह का यह सिलसिला हर वर्ग में लोकप्रियता हासिल कर चुका है, मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब की किताबों में बहुत सी ख़ूबियां हैं, जिनमें उल्लेखनीय और अहम यह हैं कि यह किताब किताब व सुन्नत के अनुसार, साफ़ सुथरी सादा भाषा और सकारात्मक अन्दाज़ में है।

हमें पूरा यक़ीन है कि इसके अध्ययन से आपको ज़कात के मसाइल की जानकारी हासिल होगी। "अल किताब इन्टरनेशनल दिल्ली" को मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब ने तफ़हीमुस्सन्नह के पूरे सैट को प्रकाशित करने की अनुमति दी है, इसलिए "अल किताब इन्टरनेशनल दिल्ली" ने इस दीनी सिलसिले के प्रकाशन का आयोजन किया है, हम मौलाना मुहम्मद इक़बाल कीलानी साहब के अत्यन्त आभारी हैं कि उन्होंने ने अपनी किताबों को प्रकाशित करने की अनुमति दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इसका सवाब प्रदान करे और मुसलमानों को इन किताबों से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल करने का सौभाग्य प्रदान करे।

प्रकाशक

Www.IslamicBooks.Website

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ !

नमाज़ के बाद "ज़कात" इस्लाम का बड़ा अहम स्तंभ है। क़ुरआन मजीद में बयासी बार इसका ताकीदी हुक्म आया है ज़कात न केवल मुसलमानों (सल्ल०) पर फ़र्ज़ है बल्कि इससे पहले भी पहली उम्मतों पर ज़कात फ़र्ज़ थी। क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने ज़कात अदा करने वालों को "सच्चे मोमिन" क़रार दिया है।

﴿ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۝ ﴾

(٨:٣-٤)

"वे लोग जो नमाज़ क़ायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उस में से ख़र्च करते हैं। वही सच्चे मोमिन हैं।" (सूरह अनफ़ाल, 3-4)

"सूरह बक़रा में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ज़कात देने वाले लोग क़यामत के दिन हर प्रकार के भय और ग़म से महफ़ूज़ होंगे।

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ آقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ ﴾ (٢ : ٢٧٧)

"जो लोग ईमान ले आएं और सद कर्म करें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें उनका सवाब बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

Www.IslamicBooks.Website

देश की सालाना ज़कात दो अरब बनती है। केवल एक साल की ज़कात से अगर औसत दर्जे के मकान बनाएं जाएं तो दो लाख मकान बन सकते हैं उतनी ही रक़म में अगर यतीम और बेसहारा बच्चों का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का इन्तिज़ाम करना अभिप्राय हो तो सारे देश में एक साल की ज़कात से तीन सौ ऐसे सैन्टर बनाए जा सकते हैं जिनमें एक लाख सत्तर हज़ार बच्चों का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का इन्तिज़ाम हो सकता है। इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि अगर देश में सहीह तरीक़े से ज़कात की व्यवस्था लागू हो जाए तो कुछ ही सालों के अन्दर अन्दर पूरे देश में एक आर्थिक क्रान्ति आ सकती है। ज़कात के लाभों व बरकतों को एक दूसरे पहलू से भी देखिए केवल एक साल की ज़कात पांच अरब रुपये से जहां दो लाख बे सहारा लोगों को जो घर मिल जाएंगे और एक लाख सत्तर हज़ार बच्चों की किफ़ालत होगी वहां दो लाख मकानों की तामीर या तीन सौ सैन्टरों की शिक्षा के लिए पांच अरब रुपये चक्र में आएंगे। जिसका बड़ा हिस्सा कारीगरों, मिसतरियों, मज़दूरों और दुकानदारों के हाथों में जाएगा जो सीधे आम आदमी की सम्पन्नता का कारण बनेगा। अर्थात ज़कात का आदेश ऐसा अधिक लाभ वाला अमल है जो दीन की पूर्ति और अल्लाह की समीपता के अलावा एक आम आदमी से लेकर पूरे देश की सामूहिक सम्पन्नता की ज़मानत है। यही वजह है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के कुछ ही साल बाद मदीना की इस्लामी रियासत में इतनी सम्पन्नता आ गई थी कि ज़कात देने वाले बहुत थे और लेने वाला कोई न था।

अब शरीअते इस्लामी के दूसरे अहम हुक्म—सूद के हराम होने—का अवलोकन कीजिए। हमारे यहां बैंक और विभिन्न इदारे या कम्पनियां छः प्रतिशत से लेकर दस, बीस और तीस प्रतिशत तक सूद देती हैं। कुछ स्कीमें ऐसी भी हैं जिनमें चार पांच साल बाद असल रक़म दुगनी हो जाती है। उन सबसे बढ़कर डिफ़ैन्स सेविंग सर्टिफ़िकेट की स्कीम है जिसमें दस साल बाद असल रक़म 26 डेसिमल 4 गुना अर्थात 426 प्रतिशत वृद्धि के साथ वापस की जाती है। याद रहे कुछ साल पहले यह रक़म 9 डेसिमल 3 गुना थी जो अब बढ़ाकर 26 डेसिमल 4 कर दी गई है। जैसे एक व्यक्ति हर माह दस

Www.IslamicBooks.Website

हज़ार रुपये दस साल तक उस स्कीम में जमा करवाता है, तो दस साल बाद यह व्यक्ति हर माह 42 हज़ार 6 सौ रुपये वसूल करेगा एक और स्कीम "मासिक आमदनी एकाऊंट" के नाम से भी जारी की गई है। जिसमें अगर कोई व्यक्ति पांच साल के लिए हर माह दस हज़ार रुपये कम से कम रक़म 100 रुपये जमा करवाता रहे तो पांच साल के बाद उस व्यक्ति को आ जीवन दस हज़ार रुपये मासिक (या जितनी रक़म वह पांच साल तक हर माह जमा करवाता रहे) मिलते रहेंगे। अर्थात पूंजीपति घर बैठे किसी मेहनत के बिना हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों रुपये कमा सकता है ऐसे व्यक्ति को फ़ैक्ट्रियां या कारख़ाना आदि लगाकर मेहनत के अलावा हानि का ख़तरा मोल लेने की आख़िर क्या ज़रूरत है?

सोचने की बात यह है कि पूंजीपति तो विभिन्न कम्पनियों या स्कीमों से बढ़ता चढ़ता सूद वसूल कर लेता है लेकिन यह आता कहां से है? छोटे दर्जे के उद्योगपतियों, मध्य वर्ग के ताजिरों, छोटे ज़मीदारों, किसानों और मज़दूरों की जेब से, जिनकी संख्या मुल्क के अन्दर निस्सन्देह करोड़ों में है ये लोग एक बार सूद के चक्कर में फंसते हैं तो उमर भर निकल नहीं पाते। हकीमुल उम्मत अल्लामा इक़बाल ने इसी हक़ीक़त की तरफ़ इशारा किया है :

ज़ाहिर में तिजारत है हक़ीक़त में जुवा है
सूद एक का लाखों के लिए मरगे मफ़ाजात

सूदी व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति पर जो ज़ुल्म हो रहा है वह तो है ही क्षण भर के लिए विचार कीजिए राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर यह सूद कितनी बड़ी लानत बनकर छाया हुआ है। पूंजीपति अपनी पूंजी बैंकों या विभिन्न स्कीमों में रखकर सूद दर सूद खाता रहता है। पूंजी रखने की वजह से देश की पैदावार, करोबार और तिजारत में सख़्त कमी होती है। और यूं आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि होती चली जाती है जो आख़िरकार देश में मुद्रा स्फूर्ति की कमी और अत्यधिक विदेशी कर्ज़ों का कारण बनता है। उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत हर साल टैक्सों में वृद्धि कर देती है कस्टम ड्यूटियां बढ़ती हैं जिसके नतीजे में वस्तुओं की क़ीमतों में बहुत अधिक वृद्धि

Www.IslamicBooks.Website

होती चली जाती है। और इस तरह आम आदमी जो प्रत्यक्ष में सूद में लिप्त नहीं होता। सूदी व्यवस्था की वजह से वह भी मुश्किल से जिस्म व जान का रिश्ता क़ायम रख पाता है। शरीअत ने सूद की इतनी बड़ी चेतावनी बिना वजह तो नहीं बताई। क़ुरआन में इसे अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्ल० के खिलाफ़ एलाने जंग क़रार दिया है। (सूरह बक़रा आयत, 279)

रसूले अकरम सल्ल० का इरशादे मुबारक है कि सूद के सत्तर दर्जे हैं। उनमें से कम तर दर्जा मां से ज़िना करने के बराबर है। (इब्ने माजा)

मेराज की रात रसूले अकरम सल्ल० ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट मकान की तरह (बड़े बड़े) थे और उनमें सांप ही सांप भरे हुए थे। आप सल्ल० के पूछने पर जिबराईल अलैहि० ने बताया कि यह सूद खाने वाले लोग हैं। (मुसनद अहमद, इब्ने माजा)

हक़ीक़त यह है कि अल्लाह तआला के बनाए हुए क़ानून में ज़कात की अनिवार्यता और सूद का हराम होना दोनों हुक्म पूरी मानव जाति के लिए बरकत ही बरकत और भलाई ही भलाई हैं लेकिन दुखद घटना यह है कि आज जब पूरी मानव जाति पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था से मायूस और समाजवादी अर्थ व्यवस्था से बगावत कर चुकी है और नहीं जानती कि क्या करे किधर जाए, इस्लामी अर्थ व्यवस्था के ध्वजावाहक, जिन्हें इस समय पूरी दुनिया के मार्गदर्शन का काम अंजाम देना चाहिए था स्वयं बातिल व्यवस्थाओं की चालों के जाल में फ़ंसे हुए हैं।

मांगते फिरते हैं अग़यार से मिट्टी के चिराग़
अपने ख़ुरशीद पे फैला दिए साए हमने

भविष्य में जब भी कभी मुसलमानों को जानदार नेतृत्व मिल गया जो इस्लामी जीवन व्यवस्था को उसकी हक़ीक़ी शक्ल में परिचित करवा सका तो हमें यक़ीने कामिल है कि जब्र व ज़ुल्म, झूठ व फ़रेब और स्वार्थ की सताई हुई दुनिया न्याय, शान्ति और आज़ादी व भाईचारे की उस आसमानी व्यवस्था को आज़माने में इंशाअल्लाह क्षण भर का संकोच नहीं करेगी।

पाठक गण! ज़कात के मसाइल निस्सन्देह बहुत गहरे हैं इसी लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा उलमाऐ किराम से लाभ उठाने की कोशिश की है।

Www.IslamicBooks.Website

फिर भी विद्वानों की राय और मशवरों का हमें इन्तिज़ार रहेगा।

हमने कोशिश की है कि अहादीसे सहीहा के हवाले से प्राचीन और आधुनिक प्रकार के तमाम मसाइल आ जाएं ताकि इस मामले में जन सामान्य का ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन हो सके। हम अपनी कोशिश में कहां तक कामयाब हुए हैं, इसका अन्दाज़ा पाठक गण ही लगा सकते हैं।

प्रिए पाठको! हदीस के इस सिलसिले के प्रकाशन से हमारे सामने निम्न उद्देश्य हैं :

(1) हदीसे रसूल सल्ल० से लोग इसी तरह का संबंध महसूस करें जैसा अल्लाह की किताब के साथ महसूस करते हैं।

(2) दीनी मसाइल सीखने और समझने के लिए लोगों में केवल अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूल सल्ल० से लाभ उठाने का रुझान पैदा हो।

(3) अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूल सल्ल० से साबित न होने वाले मसाइल को निःसंकोच छोड़ने की सोच आम हो।

आप इस हक़ीक़त से निश्चय ही सहमत होंगे कि अब तक जितना आसान और सामान्य अन्दाज़ में अल्लाह की किताब पर विभिन्न पहलू से काम हो चुका है या हो रहा है इतना हदीस रसूल सल्ल० पर काम नहीं हुआ अतः इस हक़ीक़त को सामने रखते हुए अक़ाइद, अहकाम, मनाक़िब और तफ़्सीर आदि से संबंधित सहीह अहादीस पर आधारित पुस्तिकाएं इंशाअल्लाह एक के बाद एक प्रकाशित करवाने की योजना बनाई गई है। अब तक इस सिलसिले में जो काम हो चुका है उसकी तफ़्सील आपके हाथ में है। वे लोग जो उपरोक्त उद्देश्य से सहमति रखते हैं उनसे हम विनती करते हैं कि वे हदीस के प्रकाशन के कार्य को अपनी कोशिशें समझें और इस सिलसिले में जो भी सेवा अंजाम दे सकते हों स्वयं आगे बढ़कर अंजाम दें, हमारे नज़दीक सबसे बड़ी सेवा यही है कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा हाथों तक पहुंचाया जाए।

﴿ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴾

अनुवाद : अल्लाह तआला जिसे चाहता है (अपने काम के लिए) चुन लेता है, और अपनी तरफ़ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी

Www.IslamicBooks.Website

तरफ़ पलटें। (अश्शूरा आयत, 13)

उलमा ने अपनी व्यस्तता के बावजूद दीनी फ़रीज़ा समझते हुए इस पर नज़र डाली और बड़ी मेहनत और कोशिशों से इस पर बड़े क़ीमती नोट लिखे। हम उन तमाम लोगों के सहयोग के आभारी हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उन तमाम लोगों को दुनिया व आख़िरत में अपने बेहतरीन इनामों से नवाज़े। (आमीन)

आख़िर में मुझे अपने उन तमाम भाईयों और बुज़ुर्गों का भी शुक्रिया अदा करना है जो इस काम के लिए बड़ी मेहनत और निष्ठा से निरंतर काम कर रहे हैं। अल्लाह तआला अपने उन तमाम विवश और गुनाहगार बन्दों की इस तुच्छ सी कोशिश को अपनी ख़ास कृपा से स्वीकार करे। (आमीन)

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ﴾

"ऐ हमारे परवरदिगार! हमारी इस सेवा को क़बूल फ़रमा तू निश्चय ही ख़ूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है।"

मुहम्मद इक़बाल क़ीलानी

Www.IslamicBooks.Website

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ، بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ ﴾

(मुसलमानो!) आगाह रहो, मैं क़ुरआन दिया गया हूं और इसके साथ उसी दर्जे की एक और चीज़ (अर्थात हदीस) भी दिया गया हूं।

(इसे अबू दाऊद ने सही सनद के साथ रिवायत किया है)

Www.IslamicBooks.Website

اَلنِّـــــيَّـــةُ

नीयत के मसाइल

मसला 1. आमाल के सवाब का आधार नीयत पर है।

मसला 2. ज़कात अदा करते समय नीयत करना ज़रूरी है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० कहते हैं मैने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि ''आमाल का आधार नीयतों पर है। हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की, अतः दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की। (उसे दुनिया मिलेगी) या जिसने औरत हासिल करने की नीयत से हिजरत की (उसे औरत ही मिलेगी) तो मुहाजिर की हिजरत उसी चीज़ के लिए समझी जाएगी जिस के लिए उसने हिजरत की।'' इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 3. दिखावे की ज़कात, नमाज़ और रोज़ा सब शिर्क (असग़र) है।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ** رَوَاهُ أَحْمَدُ (حَسَنٌ)

हज़रत शद्दाद बिन औस र`ज़ि० कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है : ''जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदक़ा किया उसने शिर्क किया।'' इसे अहमद ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह बुख़ारी।
2. अत्तर्गीब वत्तर्हीब लिल शैख़ मुहीउद्दीन, पहला भाग हदीस 43

Www.IslamicBooks.Website

فَرْضِيَّةُ الزَّكَاةِ

ज़कात की अनिवार्यता

मसला 4. ज़कात का अदा करना इस्लाम के पांच बुनियादी फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया है कि "इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है : 1. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, और मुहम्मद सल्ल० अल्लाह तआला के रसूल हैं, 2. नमाज़ क़ायम करना, 3. ज़कात अदा करना, 4. हज करना, 5. रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 5. ज़कात अदा करने के वचन पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने बैअत ली।

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि हमने नबी अकरम सल्ल० से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान का भला चाहने पर बैअत की। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 6. ज़कात अदा न करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ है।

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान अध्याय ईमान।
2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 7. ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है। इसकी जगह कोई सदक़ा ख़ैरात या टैक्स आदि अदा करने से ज़कात का फ़र्ज़ पूरा नहीं होता।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० फ़रमाते हैं कि जब रसूले अकरम सल्ल० की वफ़ात हुई और हज़रत अबूबक्र रज़ि० ख़लीफ़ा हुए तो अरब के कुछ लोग काफ़िर हो गए और ज़कात बैतुल माल में जमा कराने से इन्कार कर दिया। हज़रत उमर रज़ि० ने कहा कि "आप लोगों से क्योंकर जिहाद करेंगे जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि मुझे लोगों से उस समय तक लड़ने का हुक्म है जब तक वे ला इला-ह इल्लल्लाहु न कहें। जब यह कहने लगेंगे तो उन्होने अपने माल और अपनी जानें मुझसे बचा लीं। मगर हक़ के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे होगा।" हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने कहा "अल्लाह की कसम! मैं तो उससे ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेगा। क्योंकि ज़कात का माल हक़ है। वल्लाह! अगर ये लोग एक बकरी का बच्चा भी, जो रसूलुल्लाह सल्ल० को दिया करते थे, मुझे न देंगे तो उनसे ज़रूर लड़ाई करूंगा।" हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया "वल्लाह! अल्लाह तआला ने अबूबक्र रज़ि० का सीना खोल दिया था, और मैं जान गया कि हक़ यही है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

فَضْلُ الزَّكَاةِ

ज़कात की श्रेष्ठता

मसला 8. ज़कात अदा करने वाला जन्नती है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक देहाती नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि "मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसे करने से मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह तआला की उपासना कर, उसके साथ किसी को शरीक न कर, फ़र्ज़ नमाज़ क़ायम कर, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख।" उसने कहा : "अल्लाह की क़सम, मैं इससे ज़्यादा कुछ न करूंगा।" जब वह आदमी वापस हुआ, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया कि "जिसे जन्नती आदमी देखना पसन्द हो, वह इसे देख ले।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 9. ज़कात अदा करने वाले के ईमान की गवाही रसूलुल्लाह सल्ल० ने दी है।

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَأُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

رَوَاهُ النَّسائِيُّ (صحيح)

हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "वुज़ू अच्छी तरह करना आधा ईमान है और अलहम्दुलिल्लाह (कहना) मीज़ान को (नेकियों से) भर देता है। सुब्हानल्लाह और अल्लाहु अकबर (कहना) आसमान ज़मीन को (नेकियों से) भर देते हैं। नमाज़ (क़यामत के दिन) रौशनी होगी, और ज़कात (साहिबे ईमान होने की) दलील है। सब्र करना (परेशानियों और मसाईब में राह दिखाने के लिए) रौशनी है और क़ुरआन (क़यामत के रोज़ गवाही देकर) तेरे हक़ में दलील बनेगा तेरे ख़िलाफ़ दलील होगा।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत ख़ालिद बिन असलम रज़ि० कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के साथ निकले तो देहाती ने कहा कि "मुझे अल्लाह तआला के इस क़ौल वल्लज़ीना यकनिज़ूनज़्ज़-ह-ब वल फिज़्ज़-त के मतलब से परिचित कीजिए।" हज़रत इब्ने उमर रज़ि० ने फ़रमाया "जिस आदमी ने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात न दी तो उसके लिए ख़राबी है और यह आयत ज़कात का हुक्म उतरने से पहले की है। जब ज़कात फ़र्ज़ हुई अल्लाह तआला ने माल ज़कात के ज़रिए पाक कर दिया।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 10. ज़कात अदा करने से माल में वृद्धि होती है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला नम्बर 127 के अन्तर्गत देखें।

---

1 सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, दूसरा भाग हदीस 2286

2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

اَهَمِيَّةُ الزَّكَاةِ

ज़कात का महत्व

मसला 11. जिस सोने और चांदी की ज़कात अदा न की जाए, क़यामत के दिन उस सोने और चांदी की तख़्तियां बनाकर आग में गरम की जाएंगी और उनसे उसके मालिक की पेशानी, पीठ और पहलू दागे जाएंगे।

मसला 12. जिन जानवरों की ज़कात अदा न की जाए क़यामत के दिन वह जानवर अपने मालिक को पचास हज़ार साल तक अपने पांव तले रौंदते रहेंगे।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْإِبِلُ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया है "जो व्यक्ति सोने और चांदी का मालिक हो लेकिन उसका हक़ (अर्थात ज़कात) अदा न करे तो क़यामत के दिन उस (सोने और चांदी) की तख़्तियां बनाई जाएंगी। फिर उनको जहन्नम की आग में गरम किया जाएगा। फिर उनसे उस ज़कात के इन्कारी के पहलू, पेशानी और पीठ पर दाग़ लगाए जाएंगे जब कभी (ये तख़्तियां गरम करने के लिए) आग में वापस ले जायी जाएंगी तो दोबारा (अज़ाब देने के लिए) लौटाई जाएंगी (उससे यह सुलूक) सारा दिन होता रहेगा जिसकी अवधि पचास हज़ार साल (के बराबर) है। यहां तक कि इंसानों के फ़ैसले हो जाएं। फिर वह अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ देखे या जहन्नम की तरफ़।" (अर्ज़ किया गया "या रसूलुल्लाह सल्ल०!) फिर ऊंटों का क्या मामला होगा?" आप सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति ऊंटों का मालिक हो और वह उनका हक़ (ज़कात) अदा न करे और उसके हक़ से यह भी है कि पानी पिलाने के दिन का दूध दुहे (और अरब के रिवाज के मुताबिक़ यह दूध मसाकीन को पिला दे) वह क़यामत के दिन एक हमवार मैदान औंधे मुंह लिटाया जाएगा और वह ऊंट बहुत मोटे होकर आएंगे उनमें से एक बच्चा भी कम न होगा। (अर्थात सबके सब) उस (ज़कात के इन्कारी को अपने खुरों (पांव) से रौंदेंगे। और अपने मुंह से काटेंगे जब पहला ऊंट (यह सुलूक करके) जाएगा तो दूसरा आ जाएगा (उससे यह सुलूक) सारा दिन होता रहेगा। जिसका अरसा पचास हज़ार साल (के बराबर) है। यहां तक कि लोगों का फ़ैसला हो जाएगा। फिर वह अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ देखेगा या जहन्नम की तरफ़।" अर्ज़ किया गया है "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! गाय और बकरी के बारे में क्या इरशाद है?" फ़रमाया कोई गाय और बकरी वाला ऐसा नहीं जो उनका हक़ (ज़कात) अदा न करे मगर जब क़यामत का दिन होगा तो वह औंधा लिटाया जाएगा एक हमवार ज़मीन पर, और उन गाय और बकरियों में से कोई कम न होगी। (सबकी सब आएंगी) और उनमें से कोई सींग मुड़ी हुई न होगी न बिना सींगों के और टूटे हुए सींगों वाली। वह उसको अपने सींगों से मारेंगी। और अपने खुरों से रौंदेंगी। जब पहली गुज़र जाएगी तो पिछली आ जाएगी।

Www.IslamicBooks.Website

(अर्थात लगातार आती रहेंगी) दिन भर ऐसा होता रहेगा जिसकी मुद्दत पचास हज़ार साल के बराबर है। यहां तक कि बन्दों के बीच फ़ैसला हो जाएगा। फिर वह अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ देखें या जहन्नम की तरफ़।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنِ الْأَحْنَفِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अहनफ़ बिन क़ैस रज़ि० कहते हैं कि मैं क़ुरैश के कुछ लोगों में बैठा हुआ था कि अबूज़र रज़ि० आए और कहने लगे कि "ख़ज़ाना जमा करने वालों को बशारत दो ऐसे दाग़ की जो उनकी पीठ पर लगाए जाएंगे और उनके पहलुओं से आर पार हो जाएंगे।" उनकी गुद्दियों (गर्दन) में लगाए जाएंगे तो उनकी पेशानियों से पार हो जाएंगे।" फिर अबूज़र रज़ि० एक तरफ़ होकर बैठ गए। तो मैंने (लोगों से) पूछा "यह कौन हैं?" लोगों ने बताया कि "यह अबूज़र रज़ि० हैं।" अतएव मैं उनकी तरफ़ गया और अर्ज़ किया "यह क्या था जो मैंने अभी अभी सुना जो आप ने फ़रमाया।" हज़रत अबूज़र रज़ि० ने कहा "मैंने वही कहा है जो मैंने इन (मुसलमानों) के नबी सल्ल० से सुना है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

मसला 13. ज़कात न देने वालों का रुपया पैसा क़यामत के दिन गंजा सांप बनकर उनको डसे और काटेगा।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ﴿ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ

1. सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الْآيَة . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "कि जिसको अल्लाह तआला ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात अदा न की, तो क़यामत के दिन उसका माल गंजे सांप का रूप बनकर, जिसकी आंखों पर दो नुक्ते (दाग़) होंगे उसके गले का तौक़ बन जाएगा। फिर उसकी दोनों बांछें पकड़कर कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं।" फिर आप सल्ल० ने यह आयत तिलावत फ़रमाई : (अनुवाद) "जिन लोगों को अल्लाह तआला ने अपनी कृपा से माल दिया है और वे कंजूसी करते हैं तो अपने लिए यह कंजूसी बेहतर न समझें बल्कि उनके हक़ में बुरा है, अनक़रीब क़यामत के दिन यह कंजूसी उनके गले का तौक़ होने वाली है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 14. जिस माल से अल्लाह तआला का हक़ अदा न किया जाए वह माल तबाह व बर्बाद हो जाता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْإِبِلُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्ल० से सुना आप सल्ल० फ़रमाते थे "बनी इसराईल में तीन आदमी थे एक कोढ़ी दूसरा गंजा और तीसरा अन्धा। अल्लाह तआला ने उनको आज़माने का इरादा फ़रमाया। उनकी तरफ़ एक फ़रिश्ता भेजा। वह कोढ़ी के पास आया और कहा "तुझे कौन सी चीज़ प्यारी है।" उसने कहा "अच्छा रंग और अच्छा बदन और वह चीज़ मुझसे दूर हो जाए जिससे लोग नफ़रत करते हैं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया कि "फ़रिश्ते ने उस (के जिस्म) पर हाथ फेरा, तो उससे उसकी गन्दगी दूर हो गई, और अच्छा रंग और अच्छा बदन दे दिया गया।" फिर फ़रिश्ते ने कोढ़ी से पूछा "तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसन्द है?" उसने कहा "ऊंट या गाय रावी (इसहाक़) को शक है यहां कोढ़ी और गंजे में से एक ने ऊंट कहा और दूसरे ने गाय कहा। आप सल्ल० ने फ़रमाया "फिर वह फ़रिश्ता गंजे के पास आया और कहा "तुझे सबसे

Www.IslamicBooks.Website

ज़्यादा कौन सी चीज़ पसन्द है?'' उसने कहा, ख़ूबसूरत बाल, और वह चीज़ मुझसे दूर हो जाए जिससे लोग नफ़रत करते हैं।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया कि ''फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा उसका गंजापन जाता रहा और ख़ूबसूरत बाल उसे दे दिए गए।'' फ़रिश्ते ने पूछा ''तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसन्द है?'' उसने कहा ''गाय।'' तो एक गर्भवती गाय उसे दे दी गई और फ़रिश्ते ने कहा ''अल्लाह तुझे इसमें बरकत दे।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया फिर वह फ़रिश्ता अन्धे के पास आया और कहा ''तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी है?'' उसने कहा, ''अल्लाह मुझे रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया, फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा, अल्लाह तआला ने उसकी रोशनी वापस कर दी। फ़रिश्ते ने कहा ''तुझे सबसे ज़्यादा कौन सा माल पसन्द है?'' कहा ''बकरियां।'' उसे एक गर्भवती बकरी दे दी गई तो बच्चे लिए कोढ़ी और गंजे ने ऊंट और गाय के, और अंधे ने बकरी के। जिससे कोढ़ी के लिए एक जंगल ऊंटों से भर गया गंजे के लिए एक जंगल गाय से भर गया और अन्धे के लिए एक जंगल बकरियों से भर गया। आप सल्ल० ने फ़रमाया ''फिर (कुछ समय बाद) फ़रिश्ता कोढ़ी के पास उसकी और पूरी में आया और आकर कहा ''ग़रीब आदमी हूं सफ़र में मेरा माल व धन जाता रहा अब मेरा आज के दिन (अपनी मंजिल पर) पहुंचना अल्लाह की मेहरबानी और तेरे सबब से है। मैं तुझसे उसी ज़ात के वास्ते से मांगता हूं, जिसने तुझे अच्छा रंग, जिस्म और माल दिया है एक ऊंट चाहता हूं, जिसके द्वारा अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं।'' उसने कहा ''हक़दार बहुत हैं।'' (अर्थात ख़र्च ज़्यादा है माल कम है) फ़रिश्ते ने कहा ''मैं तुझे पहचानता हूं क्या तू कोढ़ी न था कि लोग तुझसे नफ़रत करते थे और तू ग़रीब था अल्लाह तआला ने तुझे सेहत और माल दिया।'' उसने कहा ''मुझे तो यह माल व दौलत बाप दादा से विरासत में मिला है।'' फ़रिश्ते ने कहा ''तू झूठा है, अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा कि तू था।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया, फिर वह फ़रिश्ता गंजे के पास आया और उसे वही कहा जो कोढ़ी से कहा था। गंजे ने वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था। फ़रिश्ते ने कहा, ''अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था।''

Www.IslamicBooks.Website

आप सल्ल० ने फ़रमाया, फिर वह फ़रिश्ता अंधे के पास उसकी (पूर्व) सूरत में आया और कहा "ग़रीब मुसाफ़िर हूं। सफ़र में मेरा माल व धन जाता रहा। आज मैं (अपनी मंजिल पर) नहीं पहुंच सकता हूं, मगर अल्लाह तआला की मेहरबानी और तेरे सबब, तुझसे उसी ज़ात के वास्ते मांगता हूं जिसने तुझे रोशनी दी। एक बकरी (चाहता हूं) कि उसके द्वारा अपनी मंज़िल पर पहुंच सकूं।" अंधे ने कहा, बेशक मैं अंधा था। मुझे अल्लाह तआला ने रोशनी दी, तो तू जो चाहे ले ले और जो चाहे छोड़ दे। अल्लाह की क़सम, आज के दिन मैं तेरा हाथ न पकडूंगा। उस चीज़ से जिसे तू अल्लाह के लिए लेना चाहे।" फ़रिश्ते ने कहा "अपना माल अपने पास रख। हक़ीक़त यह है कि तुम (तीनों) को आज़माया गया। तो तुझसे अल्लाह राज़ी हुआ। और तेरे दोनों साथियों पर ग़ुस्सा किया गया।" इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 15. ज़कात न देने वाला जहन्नमी है।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (حَسَنٌ)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "ज़कात न देने वाला क़यामत के दिन आग में होगा।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 16. ज़कात अदा न करने वाले लोगों को अल्लाह तआला अकाल में फंसा देते हैं।

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِالسِّنِيْنَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (حَسَنٌ)

हज़रत बुरैदा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "ज़कात अदा न करने वाले लोगों को अल्लाह तआला अकाल में फंसा देते हैं।" इसे

1. सहीह बुख़ारी, किताब अहादीस अल अम्बिया अध्याय मा ज़करा अन बनी इसराईल।

2. सहीह अत्तर्गीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 760

Www.IslamicBooks.Website

तबरानी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 17. ज़कात अदा न करने वाले पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने लानत फ़रमाई है।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَهِ وَ شَاهِدَهُ وَ كَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَ مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِيْ (حَسَنٌ)

हज़रत अली रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने सूद खाने, खिलाने, गवाही देने और इसे लिखने वाले सब लोगों पर लानत फ़रमाई। और बाल गूंधने, गुंधवाले वाली पर, ज़कात अदा न करने वाले पर, हलाला निकालने और निकलवाने वाले पर लानत फ़रमाई है। इसे इसबहानी ने रिवायत किया है।[2]

1. सहीह अत्तर्गीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 761
2. सहीह अत्तर्गीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 756

Www.IslamicBooks.Website

اَلزَّكَاةُ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ

ज़कात क़ुरआन मजीद की रौशनी में

मसला 18. पहली उम्मतों पर भी ज़कात फ़र्ज़ थी।

﴿ وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ ﴾ (۲:۸۳)

"याद करो जब बनी इसराईल से हम ने पक्का वायदा लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की उपासना न करना, मां बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ सद व्यवहार करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज़ क़ायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब वचन से फिर गए।" (सूरह बक़रा, आयत : 83)

﴿ وَ كَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○ ﴾ (۱۹:۵۵)

"इसमाईल अपने घर वालों को नमाज़ और ज़कात की ताकीद किया करते थे, और वह अपने स्वामी के नज़दीक बड़े पसन्दीदा इंसान थे।"

(सूरह मरयम, आयत : 55)

﴿ وَ أَوْصَانِيْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○ ﴾ (۱۹ : ۳۱)

"अल्लाह तआला ने मुझे (ईसा अलैहि०) को हुक्म दिया कि जब तक ज़िन्दा हूं नमाज़ क़ायम करूं और ज़कात अदा करता रहूं।

(सूरह मरयम, आयत : 31)

मसला 19. अदायगी ज़कात ईमान की निशानी और हुरमते जान की ज़मानत है।

﴿ فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ ﴾ (۹:۱۱)

Www.IslamicBooks.Website

"तो अगर यह (काफ़िर) तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें, ज़कात दें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं (अतः उनके ख़िलाफ़ जंग न करो) और जानने वालों के लिए हम अपने अहकाम स्पष्ट किए देते हैं।"

(सूरह तौबा, आयत : 11)

मसला 20. ज़कात अल्लाह की रहमत का वसीला है।

﴿ وَ أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ ﴾

(٥٦:٢٤)

"नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो और रसूलुल्लाह सल्ल० का आज्ञापालन करो उम्मीद है तुम पर रहम किया जाएगा।" (सूरह नूर, आयत : 56)

मसला 21. ज़कात गुनाहों का कफ़्फ़ारा और नफ़्स की पाकी का साधन है।

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ﴾ (١٠٣:٩)

"ऐ नबी सल्ल०! तुम उनके मालों से ज़कात लेकर उन्हें गुनाहों से पाक और साफ़ करो, और उनके हक़ में रहमत की दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए बेहतर साबित होगी। अल्लाह तआला सब कुछ सुनता और जानता है।" (सूरह तौबा, आयत 103)

मसला 22. ज़कात अदा करने वाले सच्चे मोमिन हैं।

﴿ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۝ ﴾

(٤-٣:٨)

"जो लोग नमाज़ क़ायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उससे (अल्लाह की राह में) ख़र्च करते हैं। हक़ीक़त में वही सच्चे मोमिन हैं।" (सूरह अनफ़ाल, आयत : 3-4)

मसला 23. ज़कात अदा करने से दौलत में बरकत और वृद्धि होती है।

﴿ وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ ﴾

(٣٩:٣٠)

Www.IslamicBooks.Website

"और जो ज़कात तुम लोग अल्लाह की प्रसन्नता हासिल करने के लिए देते हो, उससे असल में देने वाले अपने माल में वृद्धि करते हैं।"

(सूरह रूम, आयत : 39)

मसला 24. ज़कात आख़िरत में कामयाबी की ज़मानत है।

﴿ الٓمٓ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ وَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ﴾ (٣١:١-٥)

"अलिफ़-लाम-मीम—यह किताब हकीम की आयतें हैं जिनमें उन नेक बन्दों के लिए हिदायत और रहमत जो नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ़ से सत्य मार्ग पर हैं, यही फ़लाह पाने वाले हैं।" (सूरह लुक़मान, आयत : 1-5)

मसला 25. सत्ता हासिल होने के बाद ज़कात की व्यवस्था का लागू करना फ़र्ज़ है।

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ ﴾ (٢٢:٤١)

"यह वे लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में सत्ता प्रदान करें तो नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे तमाम मामलात का अंजाम तो बस अल्लाह ही के हाथ में है।"

(सूरह हज, आयत : 41)

मसला 26. नमाज़ और ज़कात अदा करने वाले ईमानदार लोगों को ही मस्जिदें आबाद करने का सौभाग्य हासिल होता है।

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ﴾ (٩:١٨)

"अल्लाह तआला की मस्जिदों के आबाद करने वाले तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह तआला और रोज़े आख़िरत को मानें, नमाज़ क़ायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से न डरें। इन्हीं से यह आशा है कि सीधी राह पर चलेंगे।" (सूरह तौबा, आयत : 18)

Www.IslamicBooks.Website

मसला 27. ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर तरह के भय और दुख से महफ़ूज़ होंगे।

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ آقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ ﴾ (٢:٢٧٧)

"जो लोग ईमान ले आएं और नेक अमल करें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें उनका सवाब (बेशक) उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी भय और दुख का मौक़ा नहीं।" (सूरह बक़रा, आयत : 277)

मसला 28. ज़कात अदा न करना कुफ़्र व शिर्क की निशानी है।

मसला 29. ज़कात अदा न करना विनाश और बर्बादी का कारण है।

﴿ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ ○ ﴾ (٤١: ٦ – ٧)

"तबाही है उन मुश्रिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आख़िरत के इन्कारी हैं।" (सूरह हा-मीम सज्दा, आयत 6-7)

मसला 30. जिस माल से ज़कात अदा न की जाए वह माल क़यामत के दिन अपने मालिक के गले में तौक़ बनाकर डाला जाएगा।

﴿ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ○ ﴾ (٣:١٨٠)

"जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी कृपा से माल व दौलत दी है और कंजूसी से काम लेते हैं इस विचार में न रहें कि यह कंजूसी उनके हक़ में बेहतर है, बल्कि यह उनके लिए बहुत बुरा है, उस कंजूसी से जो कुछ वह जमा कर रहे हैं उसे क़यामत के दिन तौक़ बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा।" (सूरह आले इमरान, आयत : 180)

मसला 31. ज़कात अदा न करने वालों की दौलत जहन्नम की आग में गर्म करके उससे उनके शरीरों को दाग़ा जाएगा।

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○ ﴾ (٩:٣٤–٣٥)

Www.IslamicBooks.Website

"दर्दनाक सज़ा की ख़ुशख़बरी सुना दो उन लोगों को जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, और उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दाग़ा जाएगा और कहा जाएगा यह है वह ख़ज़ाना जो तुमने अपने लिए जमा किया, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो।"

(सूरह तौबा, आयत : 34-35)

Www.IslamicBooks.Website

شُـــرُوْطِ الـــزَّكَاةِ

ज़कात की शर्तें

मसला 32. हर आज़ाद मालदार (साहिबे निसाब) मुसलमान (मर्द हो या औरत, बालिग़ हो या नाबालिग़, आक़िल हो या ग़ैर आक़िल) पर ज़कात फ़र्ज़ है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत मुआज़ रज़ि० को यमन की तरफ़ भेजा, तो फ़रमाया "लोगों को पहले इस बात की दावत दो कि वे गवाही दें, अल्लाह तआला के सिवा कोई उपास्य नहीं, और मैं अल्लाह तआला का रसूल हूं। अगर वे यह मान लें तो फिर उन्हें बताओ कि हर दिन और हर रात में अल्लाह तआला ने उन पर पांच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, अगर यह भी मान लें तो फिर उन्हें बताओ कि अल्लाह तआला ने उनके मालों में सदक़ा (ज़कात) फ़र्ज़ किया है जो कि उनके मालदारों से लिया जाएगा और उनके ग़रीबों को दिया जाएगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 33. जिस माल पर एक क़मरी साल (चांद का साल) गुज़र चुका हो उस पर ज़कात अदा करनी फ़र्ज़ है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि जो माल हासिल होने के बाद अपने मालिक के पास साल भर तक पड़ा रहे, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 34. केवल हलाल कमाई से दी गई ज़कात क़ाबिले क़ुबूल है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला नम्बर 118 के अन्तर्गत देखें।

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 515

Www.IslamicBooks.Website

آدَابُ أَخْذِ الـــزَّكَاةِ وَ إِيْتَائِهَا

ज़कात लेने और देने के शिष्टाचार

मसला 35. ज़कात का माल लाने वाले के लिए भलाई व बरकत की दुआ करनी चाहिए।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी अवफ़ा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० के पास जब लोग अपने सदक़ात लेकर आते तो आप सल्ल० फ़रमाते "ऐ अल्लाह फ़लां लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा।" जब मेरा बाप अपना सदक़ा लेकर आया तो फ़रमाया, "ऐ अल्लाह आले अबी अवफ़ा पर रहमत नाज़िल फ़रमा।" इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 36. ज़कात देने वाला अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ज़कात अदा करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सवाब है।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتَهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात अध्याय सलात अल इमाम व दुआई लिस्साहिब अलस्सदक़ा।

Www.IslamicBooks.Website

حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَتَانِي رَسُوْلُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللّٰهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُوْلُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذٰلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللّٰهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (١) (حَسَنٌ)

हज़रत उबई बिन काअब रज़ि० कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्ल० ने सदक़ा वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक आदमी के पास पहुंचा उसने मेरे सामने अपना माल पेश कर दिया। वह माल बस इतना ही था कि उस व्यक्ति को एक साल की ऊंटनी अदा करनी थी। मैंने उससे कहा कि "एक साल की बच्ची दे दो।" उसने कहा कि "वह न दूध देने वाली है और न सवारी के क़ाबिल अतः यह मेरी ऊंटनी है, जवान और मोटी ताज़ी, यह ले लीजिए।" मैंने कहा कि "मैं तो नबी अकरम सल्ल० के हुक्म के बिना इसे नहीं ले सकता, हां अलबत्ता नबी अकरम सल्ल० तुम्हारे क़रीब ही (मदीना मुनव्वरा में) तशरीफ़ फ़रमा हैं अगर आप पसन्द करें, तो उनकी ख़िदमत में अपनी ऊंटनी पेश कर दो जो मेरे सामने पेश की है। अगर आप सल्ल० ने तुझसे क़ुबूल फ़रमाई तो मैं भी उसे क़ुबूल कर लूंगा लेकिन अगर आप सल्ल० ने क़ुबूल न फ़रमाई तो मैं भी क़ुबूल नहीं करूंगा। अतः वह तैयार हो गया और मेरे साथ रवाना हुआ ऊंटनी भी अपने साथ ले ली। हम जब नबी अकरम सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उसने कहा "ऐ अल्लाह तआला के नबी सल्ल० आप सल्ल० का तहसीलदार मेरे पास सदक़ा वसूल करने आया और अल्लाह की क़सम यह पहला मौक़ा है कि आप सल्ल० का क़ासिद मेरे पास सदक़े के लिए आया है, मैंने अपना माल उन साहब के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा कि एक साल की बच्ची दे दो यद्यपि वह

Www.IslamicBooks.Website

दूध दे सकती है, न ही सवारी के क़ाबिल है (मैंने कहा) यह ऊंटनी जवान मोटी ताज़ी है ले लीजिए, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। अब मैं उसे (अर्थात ऊंटनी को) लेकर आप सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हूं कि उसे ले लीजिए।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया ''तुम पर वाजिब तो इतना ही था, लेकिन अगर ख़ुशी से नेकी करोगे तो अल्लाह तुम्हें उसका अज्र देगा, और हम उसको क़ुबूल कर लेंगे।'' उसने कहा ''यह ऊंटनी मौजूद है इसे ले लीजिए।'' अतएव आप सल्ल० ने उसे लेने का हुक्म फ़रमाया और उसके माल में बरकत की दुआ फ़रमाई।'' इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 37. तहसीलदार को लोगों के घर जाकर ज़कात वसूल करनी चाहिए।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (١) (صَحِيح)

हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ि० अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि ''ज़कात लेने के लिए (तहसीलदार) मवेशी (अपने ठिकाने पर) न मंगवाए और न ही मालिक अपने मवेशी कहीं दूर ले जाए बल्कि मावेशियों की ज़कात के ठिकानों पर वसूल की जाए।'' इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 38. ज़कात में औसत दर्जे का माल लेना चाहिए न बहुत अच्छा न बहुत ख़राब।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ ﷺ وَ لَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ وَ لَا تَيْسٌ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत अनस रज़ि० बयान करते हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने उन्हें वह हुक्म लिखकर दिया जिसका हुक्म अल्लाह तआला ने

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1406
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1406

Www.IslamicBooks.Website

अपने पैग़म्बर सल्ल० को दिया था कि "ज़कात में बूढ़ा और ऐबदार और नर न लिया जाए। हां अगर ज़कात लेने वाला स्वयं चाहे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فِيْ آخِرِ الْحَدِيْثِ ..... وَ تَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० ने हज़रत मुआज़ रज़ि० को यमन पर हाकिम बना कर भेजा, तो फ़रमाया "(ज़कात में) लोगों के अच्छा माल लेने से बचना।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 39. ज़कात से बचने के लिए बहाने बाज़ी करना मना है।

मसला 40. ज़कात देते समय अगर माल अलग-अलग हों तो उन्हें जमा न किया जाए अगर माल साझे में हों तो उन्हें अलग अलग न किया जाए।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ فرض رَسُوْلُ اللهِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अनस रज़ि० ने रिवायत किया है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने उनके लिए फ़र्ज़ ज़कात का हुक्म लिख दिया, जो नबी अकरम सल्ल० ने मुक़र्रर की थी, उसमें यह भी था कि "ज़कात के डर से जुदा जुदा माल को यकजा और यकजा माल को ज़कात के डर से अलग अलग न किया जाए।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

स्पष्टीकरण : माल इकट्ठा करने की मिसाल यह है कि अगर तीन आदमियों के पास अलग-अलग चालीस-चालीस बकरियां इकट्ठी कर दीं तो

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात अध्याय ला ताख़ुज़ू फ़िस्सदक़ती हुरमती वला ज़ाती अवाद।

2. सही बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात।

3. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

केवल एक बकरी अदा करनी पड़ेगी, माल अलग-अलग करने की मिसाल यह है कि अगर दो आदमियों के संयुक्त माल में दो सौ चालीस बकरियां हो तो उन पर तीन बकरियां ज़कात होंगी, लेकिन अगर वे अपनी अपनी एक सौ बीस बकरियां अलग कर लें तो दोनों को एक एक बकरी देनी पड़ेगी। ऐसी सब सूरतें मना है।

ज़कात वसूल करने वाले के लिए भी ऐसा हुक्म है जैसे अगर दो आदमियों के संयुक्त माल में ऐसी बकरियां हैं तो उनपर एक बकरी ज़कात होगी। ज़कात लेने वाली अस्सी (80) बकरियों को चालीस-चालीस के दो हिस्से मान करके दो बकरियां नहीं ले सकता।

मसला 41. संयुक्त कारोबार में हिस्सेदार उनको अपने-अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۲)

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने उनके लिए ज़कात का हुक्म लिख कर दिया, जो रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुक़र्रर की थी। उसमें यह था कि "जो माल दो शरीकों का हो वह एक दूसरे से बराबर हिसाब कर लें।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : 1. जैसे एक कारोबार में दो आदमी बराबर की पूंजी से शरीक हैं तो साल के आख़िर में उस रक़म की ज़कात अदा करने के लिए दोनों साझी ज़कात की आधी आधी रक़म अदा करेंगे।

2. कम्पनियां आदि की ज़कात की असल ज़िम्मेदारी कम्पनियों पर है लेकिन अगर किसी वजह से वह अदा न करें तो हिस्सेदार को अपने-अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए।

मसला 42. ज़रूरत पड़ने पर साल मुकम्मल होने से पहले ज़कात अदा की जा सकती है।

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذٰلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حَسَنٌ)

हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से साल गुज़रने से पहले ज़कात अदा करने के बारे में पूछा तो आप सल्ल० ने उनको रुख़्सत दे दी। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 43. ज़कात जिस जगह वसूल की जाए वहीं बांटना उत्तम है लेकिन ज़रूरत से दूसरी जगह भिजवानी जाइज़ है।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (صَحِيح)

हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ि० से रिवायत है कि उन्हें ज़कात का तहसीलदार नियुक्त किया गया, जब वह वापस तशरीफ़ लाए तो उनसे पूछा गया "माल कहां है?" उन्होंने फ़रमाया "क्या आपने मुझे माल लाने के लिए भेजा था? हम वहीं से माल लेते हैं जहां से अहदे रिसालत में लिया करते थे और वहीं बांट देते हैं जहां अहदे रिसालत में बांट दिया करते थे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : ज़कात वसूल करके तक़सीम करने का इलाक़ा तहसीलदार का अपना इलाक़ा (अर्थात तहसील) है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ..... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत मआज़ रज़ि० को यमन भेजा (तो इरशाद फ़रमाया)

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 545
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1431

Www.IslamicBooks.Website

"लोगों को बताना कि उन पर अल्लाह तआला ने ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके लिए मालदारों से लेकर उनके फ़ुक़रा को दी जाएगी।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 44. ज़कात के माल में बेइमानी या घोटाला करने वाला व्यक्ति क़यामत के दिन उस माल को अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيْدِ إِتَّقِ اللّٰهَ لَا تَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ذٰلِكَ لَكَذَالِكَ ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ قَالَ: فَوَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَداً رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (صَحِيْح)

हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल० ने उन्हें ज़कात वसूल करने के लिए नियुक्त किया और फ़रमाया "ऐ अबू वलीद! (ज़कात के माल के बारे में) अल्लाह तआला से डरते रहना क़यामत के रोज़ इस हाल में न आना कि तुम (अपने कंधों पर) ऊंट उठाए हुए आओ जो बिलबिला रहा हो या (अपने कंधों पर चोरी की हुई) गाय उठाई हुई जो डकरा रही हो या बकरी उठा कर रखी हो जो मिमया रही हो (और मुझे सिफ़ारिश के लिए कहो)।" हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि० ने अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह सल्ल०! क्या माले ज़कात में हेर फेर का यह अंजाम होगा?" आप सल्ल० ने फ़रमाया "हां, क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है (यही अंजाम होगा)। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि० ने अर्ज़ किया "उस ज़ात की क़सम जिसने आप सल्ल० को हक़ के साथ भेजा, मैं आप सल्ल० के लिए कभी भी आमिल का काम नहीं करूंगा।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 778

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِيْ فُلَانٍ وَانْظُرْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِكَ أَوْ كَاهِلِكَ لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِصْرِفْهَا عَنِّيْ فَصَرَفَهَا عَنْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ (صَحِيْح)

हज़रत सईद बिन उबादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उन्हें फ़रमाया "जाओ फ़लां क़बीले की ज़कात इकट्ठी करके लाओ और हां देखो! कहीं क़यामत के रोज़ ऐसी हालत में न आना कि तुम्हारी गर्दन या पीठ पर जवान ऊंट हो जो बिलबिला रहा हो।" हज़रत सईद रज़ि० ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल० मुझे इस ज़िम्मेदारी से अलग कर दीजिए।" आप सल्ल० ने उन्हें अलग कर दिया। इसे तबरानी और बज़्ज़ार ने रिवायत किया है।[1]

मसला 45. ज़कात वसूल करने वाले को किसी ज़कात देने वाले से तोहफ़ा नहीं लेना चाहिए।

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हमीद साअदी रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने बनू असद (क़बीले) के एक व्यक्ति बिन लतबिया नामी को (आमिल नियुक्त

1. सहीह अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 778

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाया। हज़रत अम्र रज़ि० और हज़रत इब्ने अबू उमर रज़ि० कहते हैं कि आप सल्ल० ने उसे ज़कात वसूल करने के लिए (तहसीलदार) नियुक्त फ़रमाया था) जब वह व्यक्ति वापस आया तो कहने लगा "यह आप सल्ल० का (अर्थात बैतुल माल का) हिस्सा है और यह मेरा हिस्सा है, जो मुझे बतौर तोहफ़ा दिया गया।" (यह सुनकर) रसूलुल्लाह सल्ल० मिंबर पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह तआला की प्रशंसा व स्तुति की और फिर फ़रमाया "इस तहसीलदार का मामला कैसा है जिसे मैंने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा और (वापस आकर) कहता है यह तो आप सल्ल० का माल है और यह मुझे तोहफ़ा के रूप में दिया गया है। वह अपने बाप या मां के घर क्यों न बैठा रहा फिर देखता कि उसे तोहफ़ा मिलता है या नहीं, क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्ल०) की जान है कि तुममें से जो व्यक्ति इस तरह से कोई माल लेगा (अर्थात तोहफ़ा आदि के नाम पर) तो वह क़यामत के दिन अपनी गर्दन पर उठाकार लाएगा ऊंट होगा तो बिलबिलाता होगा। गाय होगी तो वह चिल्लाती होगी। बकरी होगी तो वह मिमयाती होगी।" फिर आप सल्ल० ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए यहां तक कि हमें आप सल्ल० की बग़लों की सफ़ेदी नज़र आ गई। आप सल्ल० ने दो बार फ़रमाया "या अल्लाह! मैंने (तेरा हुक्म) पहुंचा दिया।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह मुस्लिम किताबुल इमारात अध्याय तहरीम हदाया अलअमाल।

Www.IslamicBooks.Website

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِىْ تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

वे चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब है

(अ) सोना और चांदी

मसला 46. सोने पर ज़कात है।

मसला 47. सोने का निसाब साढ़े सात तोले या 87 ग्राम है, इससे कम पर ज़कात नहीं।

ज़कात की दर वज़न के हिसाब से, क़ीमत के हिसाब से ढाई फ़ीसद है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (صَحِيْح)

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० और हज़रत आइशा रज़ि० दोनों से रिवायत है कि नबी सल्ल० हर बीस दीनार या उससे ज़्यादा पर आधा दीनार (अर्थात चालीसवां हिस्सा) ज़कात लेते थे। और हर चालीस दीनार से एक दीनार (अर्थात चालीसवां हिस्सा) इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : 1. दीनार सोने का था। और बीस दीनार का वज़न सात तोला था।

2. ज़कात सोना या सोने की क़ीमत दोनों सूरतों में अदा करना चाहिए।

3. सोने की क़ीमत का अन्दाज़ा मौजूदा भाव के मुताबिक़ लगाकर ज़कात अदा करनी चाहिए।

मसला 48. चांदी पर ज़कात है।

मसला 49. चांदी का निसाब साढ़े बावन तोले या 216 ग्राम है। इससे कम पर ज़कात नहीं।

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, पहला भाग, हदीस 1448

Www.IslamicBooks.Website

मसला 50. ज़कात की दर वज़न के हिसाब से क़ीमत के हिसाब से ढाई फ़ीसद है।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "पांच वसक़ से कम खजूरों में ज़कात नहीं है और पांच औक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं और पांच ऊंट से कम में ज़कात नहीं है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत है।[1]

स्पष्टीकरण : पांच औक़िया का वज़न मौजूदा हिसाब से साढ़े बावन तोला है।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (حَسَنٌ)

हज़रत अली रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "मैंने घोड़ों और ग़ुलामों की ज़कात से तुम्हें माफ़ रखा है। लेकिन (चांदी) से चालीसवां हिस्सा अदा करो अर्थात हर चालीस दिरहम से एक दिरहम।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत है।[2]

स्पष्टीकरण : दिरहम चांदी का होता था।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

हज़रत अली रज़ि० नबी करीम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि आप

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1447

Www.IslamicBooks.Website

सल्ल० ने फ़रमाया "चांदी से चालीसवां हिस्सा अदा करो (अर्थात) हर चालीस (40) दिरहम से एक दिरहम। और जब तक दो सौ दिरहम पूरे न हों, तब तक कोई चीज़ (ज़कात) वाजिब नहीं। जब दो सौ दिरहम पूरे हो जाएं तो उनमें से पांच दिरहम अदा करो, और जब दो सौ दिरहम से ज़्यादा हों उस पर उसी हिसाब से ज़कात वाजिब होगी।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 51. निसाब से कम सोना चांदी को मिलाकर ज़कात अदा करना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 52. सोने और चांदी के ज़ेरे इस्तेमाल ज़ेवरात पर भी ज़कात है।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ لَا قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (حَسَنٌ)

हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ि० अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्ल० के पास आई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसके हाथ में सोने के दो मोटे कंगन थे। आप सल्ल० ने उससे फ़रमाया "क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो?" उसने कहा "नहीं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया, क्या तुझे यह पसन्द है कि अल्लाह तुझे इनके बदले में क़यामत के दिन कंगन आग से पहनाए?" उसने (यह सुनकर) दोनों कंगन उतार कर आप सल्ल० की ख़िदमत में पेश कर दिए। और कहा कि "यह अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्ल० के लिए हैं।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया हे।[2]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 139
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1382

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण : धात के सिक्के या काग़ज़ की करन्सी चूंकि हर समय सोने या चांदी से तब्दील की जा सकती है। अतः चलती करन्सी का निसाब 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी दोनों में से जिसकी क़ीमत कम होगी, उसके बराबर होगा। जिस पर साल गुज़रने के बाद ढाई फ़ीसद के हिसाब से ज़कात अदा करनी चाहिए।

(ब) माले तिजारत

मसला 53. साल के आख़िर में सारे माले तिजारत (लाभ के साथ) की क़ीमत लगाकर ज़कात अदा करनी चाहिए।

عَنْ أَبِيْ عَمْرِوبْنِ حَمَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ فَمَرَّبِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّمَا هُوَالْأُدُمُ قَالَ: قَوِّمْهُ ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ

हज़रत अबू अम्र बिन हम्मास रज़ि० अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैं चमड़ा और तीर व तरकश फ़रोख़्त करता था। हज़रत उमर रज़ि० मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमाया "अपने माल की ज़कात अदा करो।" मैंने अर्ज़ किया "ऐ अमीरुल मोमिनीन यह तो केवल चमड़ा है।" हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया "इसकी क़ीमत लगाओ और इसकी ज़कात अदा करो।" इसे शाफ़ई, अहमद, दारे क़ुत्नी और बैहेक़ी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : 1. माले तिजारत का निसाब और दर नक़दी ही का निसाब और दर है। अर्थात मौजूद समय में साढ़े बावन तोला (612 ग्राम) चांदी या साढ़े सात तोले (87) ग्राम सोने में से जिस की क़ीमत कम होगी वह क़ीमत माले तिजारत का निसाब तसव्वुर की जाएगी, और शराह ज़कात ढाई फ़ीसद होगी।

2. दौराने साल में माले तिजारत की मात्रा या क़ीमत में कमी बेशी देखे बिना ज़कात देते समय सारे माले तिजारत की मात्रा और क़ीमत को सामने रखा जाएगा।

1. दारे क़ुत्नी, अध्याय ताजील दूसरा भाग, पृ0 215

Www.IslamicBooks.Website

(स) ग़ल्ला और फल

मसला 54. ज़मीन की पैदावार में से गन्दुम, जौ, किशमिश और खजूर पर ज़कात है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ الزَّكَاةُ فِيْ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (صحيح)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने निम्न चार चीज़ों में ज़कात ठहराई है : 1. गन्दुम 2. जौ 3. किशमिश 4. खजूर। इसे दारे क़ुत्नी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 55. ज़मीन की पैदावार के लिए ज़कात का निसाब पांच वसक़ (756 किलोग्राम) है।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صَحِيْح)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जब तक ग़ल्ला और खजूर की मात्रा पांच वसक़ (तक़रीबन 20 मन या 756 किलोग्राम) तक न हो जाए। उस पर ज़कात नहीं।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 56. क़ुदरती साधनों से सिंचित होने वाली ज़मीन की पैदावार के लिए ज़कात की दर दसवां हिस्सा (उश्र) है।

मसला 57. बनावटी साधन (कुंआ, ट्यूबवैल, नहर, आदि) से सींची जाने वाली ज़मीन की पैदावार के लिए ज़कात की दर बीसवां हिस्सा (आधा उश्र) है।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

1. सिलसिला अहादीस सहीहा, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 879
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 235

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल० ने फ़रमाया "जिस ज़मीन को बारिश या चश्मे पानी पिलाएं या ज़मीन तर व ताज़ा हो उसकी पैदावार से दसवां हिस्सा ज़कात है और जिस ज़मीन को कुएं के ज़रिए पानी दिया जाए उसमें आधा उश्र (अर्थात बीसवां हिस्सा) ज़कात है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 58. खजूरों और अंगूरों की ज़कात अदा करने के लिए ख़र्स का तरीक़ा इख़्तियार करने का हुक्म है।

मसला 59. खजूरों की ज़कात ख़ुश्क खजूरों से और अंगूरों की ज़कात ख़ुश्क अंगूरों से अदा करनी चाहिए।

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حسن)

हज़रत अत्ताब बिन उसैद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने अंगूरों की ज़कात (उसी तरह) ख़र्स के तरीक़े से अदा करने का हुक्म दिया है जिस तरह खजूरों की ज़कात ख़र्स के तरीक़े से अदा की जाती है। और अंगूर की ज़कात किशमिश से अदा की जाए। जिस तरह तर खजूरों की ख़ुश्क खजूरों से दी जाती है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : 1. खजूर या अंगूर पक जाए तो काटने से पहले वज़न का अन्दाज़ा लगाना कि ख़ुश्क होकर कितना बाक़ी रह जाएगा ख़र्स कहलाता है ज़कात की मात्रा का निर्धारण ख़र्स से होगा लेकिन अदायगी ख़ुश्क फल से होगी।

2. चूंकि आमदनी के साधन अर्थात ज़मीन पर ज़कात नहीं बल्कि आमदनी के साधन से हासिल होने वाली आमदनी पर ज़कात वाजिब है अतः कारख़ाने या फ़ैक्ट्रियों की डेरी फ़ार्म के मवेशियों और किराये पर दिए गए मकानात आदि पर ज़कात नहीं होगी बल्कि उनसे हासिल होने वाली

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी किताबुज़्ज़कात अध्याय माजा।

Www.IslamicBooks.Website

आमदनी पर शर्तों के अनुसार ज़कात वाजिब होगी।

(द) शहद

मसला 60. शहद की पैदावार से उश्र अदा करने का हुक्म है।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه (صَحِيْح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि "आप सल्ल० ने शहद से उश्र लिया है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

(ज) रुकाज़ और कान (खान)

मसला 61. रुकाज़ (दफ़्न शुदा ख़ज़ाना) मालूम होने पर बीस फ़ीसद ज़कात है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जानवर से जो घाव पहुंचे उसका कोई बदला नहीं अगर एक व्यक्ति कुआं खुदवाए और दूसरा उसमें गिर जाए तो उसका भी कोई बदला नहीं, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति उजरत पर कान खुदवाए और उसमें (मज़दूर) मारा जाए तो उसका भी बदला नहीं और दफ़्न शुदा ख़ज़ाना (रुकाज़) निकालने पर बीस प्रतिशत ज़कात है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : रुकाज़ के लिए निसाब का निर्धारण सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 62. खान की आमदनी पर ज़कात है।

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1477
2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात अध्याय फ़िज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

हज़रत रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान रज़ि० कुछ दूसरे सहाबा से रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने बिलाल बिन हारिस मुज़नी को क़बीला (जगह का नाम) खानें जागीर में प्रदान फ़रमाईं। यह जगह फ़राअ की जानिब है। उन खानों से आज तक सिवाए ज़कात के कुछ नहीं लिया गया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : खान की आमदनी पर ज़कात अदा करने के लिए हदीस में निसाब और दर का ज़िक्र नहीं अलबत्ता फ़ुकहा ने ज़कात के आदेशों को सामने रखते हुए उसकी दर ढाई फ़ीसद मुक़र्रर की है।

(झ) मवेशी

मसला 63. चार ऊंटों पर कोई ज़कात नहीं।

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया "पांच से कम (अर्थात चार) ऊंटों पर ज़कात नहीं है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 64. पांच से लेकर चौबीस ऊंटों तक हर पांच ऊंट के बाद एक बकरी ज़कात देनी चाहिए।

मसला 65. 25 से लेकर 35 ऊंटों तक एक साल की ऊंटनी देनी चाहिए।

मसला 66. 32 से लेकर 45 ऊंटों तक दो साल की ऊंटनी देनी चाहिए।

मसला 67. 46 से लेकर 60 ऊंटों तक तीन साल की ऊंटनी देनी

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, किताबुल ख़िराज।
2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

चाहिए।

मसला 68. 61 से लेकर 75 ऊंटों तक चार साल की ऊंटनी देनी चाहिए।

मसला 69. 76 से लेकर 90 ऊंटों तक दो दो साल की दो ऊंटनियां देनी चाहिए।

मसला 70. 91 से लेकर 120 ऊंटों तक तीन तीन साल की दो ऊंटनियां देनी चाहिए।

मसला 71. 120 से ज़्यादा तादाद हो तो हर चालीस ऊंटों पर दो साल की ऊंटनी और हर पचास ऊंटों पर तीन साल की एक ऊंटनी अदा करनी चाहिए।

मसला 72. कोई व्यक्ति निसाब से कम माल होने के बावजूद ज़कात अदा करना चाहे तो कर सकता है।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى

Www.IslamicBooks.Website

ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने उन्हें बहरीन का हाकिम नियुक्त किया तो उनको यह आदेश लिखकर दिए "(शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है रहम फ़रमाने वाला।) यह वह ज़कात है जो रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ की, और जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने पैग़म्बर सल्ल० को दिया तो उस हुक्म के मुताबिक़ जिस मुसलमान से ज़कात मांगी जाए वह अदा करे और जिससे ज़्यादा मांगी जाए वह कदापि न दे। चौबीस ऊंटों में या उनसे कम में हर पांच में एक बकरी देनी होगी पांच से कम में कुछ नहीं। जब पच्चीस ऊंट हो जाएं पैंतीस ऊंटों तक उनमें एक साल की ऊंटनी देनी होगी। जब छत्तीस ऊंट हो जाएं पैंतालिस तक तो उनमें दो साल की ऊंटनी देनी होगी। जब छियालीस ऊंट हो जाएं साठ ऊंटों तक उनमें तीन साल की ऊंटनी जुफ़्ती योग्य देनी होगी। जब इकसठ ऊंट हो जाएं पिछत्तर ऊंटों तक उनमें चार साल की ऊंटनी देनी होगी। जब छिहत्तर ऊंट हो जाएं नव्वे ऊंटों तक तो उनमें दो-दो साल की दो ऊंटनियां जुफ़्ती के क़ाबिल देनी होंगी जब एक सौ बीस ऊंटों तक तो उनमें तीन-तीन साल की दो ऊंटनियां देनी होंगी। जब एक सौ बीस ऊंटों से ज़्यादा हो जाएं जो हर चालीस ऊंट में दो साल की ऊंटनी और पचास में तीन साल की ऊंटनी देनी होगी और जिसके पास चार ही (या चार से भी कम) ऊंट हों तो उनपर ज़कात नहीं है मगर जब मालिक अपनी ख़ुशी से कुछ दे। जब पांच हो जाएं तो एक बकरी देनी होगी और जब जंगल में चरने वाली बकरियां चालीस हो जाएं एक सौ बीस बकरियों तक तो एक बकरी देनी होगी। जब एक सौ बीस से ज़्यादा हो जाएं दो सौ तक तो दो बकरियां देनी होंगी जब दो सौ से ज़्यादा हो जाएं तीन सौ तक तो तीन बकरियां देनी होंगी जब तीन सौ से ज़्यादा हो जाएं तो हर सैकड़े के पीछे एक बकरी देनी होगी। जब किसी व्यक्ति की चरने वाली बकरियां चालीस

Www.IslamicBooks.Website

से कम हों तो उनमें ज़कात नहीं है मगर अपनी ख़ुशी से मालिक कुछ देना चाहे तो दे सकता है, और चांदी में चालीसवां हिस्सा ज़कात में देना होगा (बशर्ते कि दो सौ दिरहम या उससे ज़्यादा चांदी हो) लेकिन अगर एक सौ नव्वे दिरहम (या एक सौ निन्नानवे) बराबर चांदी हो तो ज़कात न होगी लेकिन अगर मालिक अपनी ख़ुशी से देना चाहे।" (तो दे सकता है) इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 73. 40 से कम बकरियों पर ज़कात नहीं।

मसला 74. 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी ज़कात है।

मसला 75. 121 से लेकर 200 तक दो बकरियां ज़कात है।

मसला 76. 201 से लेकर 300 तक तीन बकरियां ज़कात है।

मसला 77. 300 से ज़्यादा हों तो हर सौ बकरी पर एक बकरी ज़कात है।

मसला 78. निसाब से कम माल होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति ज़कात अदा करना चाहे तो कर सकता है।

स्पष्टीकरण : 1. हदीस मसला 64 या 72 के अन्तर्गत देखें।

2. बकरियों और भेड़ों का निसाब और दर ज़कात एक ही है।

मसला 79. 30 से कम गायों पर ज़कात नहीं।

मसला 80. 30 गायों पर एक साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात अदा करनी चाहिए।

मसला 81. 40 गायों पर दो साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात है।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ (صَحِيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "30 गायों में से एक साल का बछड़ा, बछड़ी जो दूसरे साल की उम्र में हो। चालीस गायों में से दो साल का बछड़ा या बछड़ी जो

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात अध्याय ज़कात अलग़नम।

Www.IslamicBooks.Website

तीसरे साल की उम्र में हो ज़कात है।'' इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 82. 60 गायों पर दो बछड़े या दो बछड़ियां जो दूसरे साल की उम्र में हों ज़कात अदा करनी चाहिए।

मसला 83. 60 से ज़्यादा गायों पर हर तीस के इज़ाफ़े पर एक साल का बछड़ा या बछड़ी और चालीस की वृद्धि पर दो साल का बछड़ा या बछड़ी अदा करनी चाहिए।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صَحِيح)

हज़रत मुआज़ रज़ि० कहते हैं मुझे नबी करीम सल्ल० ने यमन की तरफ़ भेजा और हुक्म दिया कि हर ''तीस गायों पर एक साल का बछड़ा या बछड़ी जो दूसरे साल की उम्र में हो, और हर चालीस पर दो साल का बछड़ा जो तीन साल की उम्र में हो ज़कात में वसूल करूं।'' इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : गायों और भैंसों का निसाब और ज़कात की दर एक ही है।

मसला 84. ज़कात का उपरोक्त निसाब और दर उन मवेशियों के लिए है जो आधा साल से ज़्यादा अरसा क़ुदरती साधनों पर गुज़ारा करते रहे हों।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (حَسَن)

हज़रत बहज़ बिन हकीम रज़ि० अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया ''कि हर चालीस ऊंटों में जो जंगल में चरने वाले हों दो साल की ऊंटनी जो तीसरे साल में बतौर ज़कात अदा की जाए।'' इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 508
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 509
3. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1393

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण : 1. मवेशी जो स्थाई रूप से मालिक के ख़र्च पर गुज़ारा करते हों और व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हों उनपर ज़कात नहीं चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो।

2. मवेशी जो मालिक के ख़र्च पर गुज़ारा करते हों लेकिन तिजारत के उद्देश्य से पाले गए हों, उनकी आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी।

Www.IslamicBooks.Website

اَلْاَشْيَاءُ الَّتِىْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ

वे चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब नहीं

मसला 85. व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम में ज़कात नहीं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : व्यक्तिगत मकान या मकान की तामीर के लिए प्लॉट और व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीज़ें जैसे कार, फ़र्नीचर, फ़र्ज, हिफ़ाज़ती हथियार या मवेशी चाहे कितनी ही क़ीमत के हों उनपर ज़कात नहीं।

मसला 86. खेती बाड़ी करने वाले मवेशी पर ज़कात नहीं।

عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (حَسَنٌ)

हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ि० एक लम्बी हदीस में बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "काम करने वाले मवेशी में कोई ज़कात नहीं।" इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : खेती बाड़ी की आमदनी पर दस्तूर के अनुसार ज़कात होगी।

मसला 87. सब्ज़ी पर ज़कात नहीं।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा लिल दकतूर मुस्तफ़ा आज़मी, चौथा भाग, हदीस 292

Www.IslamicBooks.Website

وَلَا فِيْ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ

हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "सब्ज़ियों में ज़कात नहीं, न आरियत के पेड़ों में, न पांच वसक़ (725 किलोग्राम) से कम (ग़ल्ले) में ज़कात है, न काम करने वाले जानवरों में और न ही जबह में ज़कात है। रावी कहते हैं, जबह से मुराद घोड़ा, ख़च्चर और ग़ुलाम हैं। इसे दारे क़ुत्नी ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : आरियत के पेड़ से मुराद वह फलदार पेड़ हैं जो कोई मालदार आदमी किसी ग़रीब आदमी को अस्थाई रूप से फ़ायदा हासिल करने के लिए दे दे।

1. दारे क़ुत्नी, दूसरा भाग, पृ0 95

Www.IslamicBooks.Website

ज़कात कहां दी जाए

मसला 88. ज़कात के हक़दार आठ क़िस्म के लोग हैं।

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (۱)

हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई रज़ि० कहते हैं कि मैं नबी अकरम ल्ल० के पास आया और आप सल्ल० से बैअत की। हज़रत ज़ियाद लम्बी हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि "आप सल्ल० के पास एक आदमी आया और कहा कि मुझे सदक़े से कुछ दीजिए। नबी अकरम सल्ल० ने उसे फ़रमाया ज़कात के बारे में अल्लाह तआला न तो किसी नबी के हुक्म पर राज़ी हुआ और न ही किसी ग़ैर के हुक्म पर, यहां तक कि ख़ुद अल्लाह तआला ने ज़कात में हुक्म फ़रमाया और ज़कात के आठ मसरफ़ बयान किए तो अगर तू उन आठ में से है तो मैं तुझको तेरा हक़ दूंगा।" (वरना नहीं) इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 89. आमिलीन (ज़कात वसूल करने वाले लोग) ज़कात से उजरत ले सकते हैं चाहे मालदार ही हों।

عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَنِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

इब्ने सईद रज़ि० कहते हैं कि मुझे हज़रत उमर रज़ि० ने ज़कात लेने पर अफ़सर नियुक्त किया। जब मैं फ़ारिग़ हुआ और हज़रत उमर रज़ि० तक ज़कात पहुंचाई तो हज़रत उमर रज़ि० ने मेरे काम का बदला अदा करने का हुक्म दिया। मैंने कहा "मैंने तो यह काम अल्लाह के लिए किया है और मेरा सवाब अल्लाह तआला पर है।" उन्होंने कहा "जो तुझे दिया जाए उसे ले ले। मैंने भी नबी अकरम सल्ल० के ज़माने में यही काम किया था। आप सल्ल० ने मुझे मज़दूरी अदा की तो मैंने भी वही कहा जो तूने कहा है मुझे नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "जब कोई चीज़ बिन मांगे दी जाए तो उसे खाओ और सदक़ा भी करो।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 90. फ़ुक़रा और मसाकीन ज़कात के हक़दार हैं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ إِنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत मआज़ रज़ि० को यमन की तरफ़ भेजा और सारी हदीस बयान की जिसमें यह है कि "अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो दौलतमन्दों से लेकर फ़ुक़रा को दी जाएगी।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2] हदीस के शब्द बुख़ारी के हैं।

स्पष्टीकरण : ज़कात के हक़दार मिस्कीन और फ़क़ीर की तारीफ़ के लिए मसला 39 देखें।

मसला 91. मुसीबतज़दा, क़र्ज़दार और ज़मानत भरने वालों की मदद के लिए ज़कात देना जाइज़ है।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग हदीस 1449
2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتّٰى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

क़बीसा बिन मुख़ारिक़ हिलाली रज़ि० से रिवायत है कि मैं ज़ामिन बना और रसूले अकरम के पास आया और उस बारे में आप सल्ल० से सवाल किया। आप सल्ल० ने फ़रमाया "हमारे पास ठहर यहां तक कि सदक़ा आए, हम उसमें से तुमको दिलवा देंगे।" फिर फ़रमाया "ऐ क़बीसा! मांगना हलाल नहीं है, मगर तीन आदमियों को। एक वह जिसने ज़मानत उठाई। तो उसके लिए सवाल करना सही है, यहां तक कि ज़मानत अदा हो जाए, फिर वह सवाल करने से रुक जाए। दूसरा आदमी जिसको कोई आफ़त पहुंची और उसका माल व असबाब हलाक हो गया, तो उसके लिए सवाल करना सही है यहां तक कि उसे इतना मिल जाए जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए या फ़रमाया जो उसकी हाजत को दूर कर दे। और तीसरा वह व्यक्ति कि उसको सख़्त फ़ाक़ा पहुंचे, यहां तक कि उसकी क़ौम के तीन उचित आदमी इस बात की गवाही दें कि फ़लां व्यक्ति को सख़्त फ़ाक़ा पहुंचा है, तो उसके लिए मांगना सही है, यहां तक कि उसे इतना मिल जाए कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए या फ़रमाया हाजत को दूर करे। ऐ क़बीसा! इन तीन सूरतों के अलावा सवाल करना हराम, है और ऐसा सवाल करने वाला हराम खाता है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

---

1. सहीह मुस्लिम किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० के ज़माने में एक व्यक्ति को उन फलों में नुक़्सान पहुंचा जो उसने ख़रीदे थे। तो वह बहुत ज़्यादा क़र्ज़दार हो गया। रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "इसे सदक़ा दो। लोगों ने उसे सदक़ा दिया, लेकिन सदक़े से उसका क़र्ज़ पूरा न हुआ तो आप सल्ल० ने उसके क़र्ज़ वालों से फ़रमाया जो मिलता है ले लो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 92. नौ मुस्लिमों या इस्लाम के लिए दिल में नर्मी रखने वाले ग़ैर मुस्लिमों को दिल बढ़ाने के लिए ज़कात देना जाइज़ है।

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَتُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ الْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि हज़रत अली रज़ि० ने यमन से मिट्टी में मिला हुआ कुछ सोना (अर्थात खान से निकाला हुआ) नबी अकरम सल्ल० के पास भेजा। आप सल्ल० ने उसे चार आदमियों में बांट दिया। 1. अक़रा बिन हाबिस हन्ज़ली। 2. उयैना बिन बद्र क़रारी। 3. अलक़मा बिन अलाता आमिरी। 4. एक आदमी बनी किलाब से। ज़ैद

1. मिश्कात किताबुल बुयूअ अध्याय इफ़लास वल पहली फ़स्ल अव्वल।

Www.IslamicBooks.Website

ख़ैरुलताई या फिर बनी नबहान से, इस पर क़ुरैश बहुत ग़ज़बनाक हुए और कहने लगे आप सल्ल० नजद के सरदारों को देते हैं और हमको नहीं देते। इस पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "मैं इनको इसलिए देता हूं कि उनके दिलों में इस्लाम की मुहब्बत पैदा हो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 93. ग़ुलामों की आज़ादी या क़ैदियों की रिहाई के लिए ज़कात ख़र्च करना जाइज़ है।

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبْعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ فَقَالَ لَهُ : أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَ فُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَيْسَا وَاحِدًا قَالَ : لاَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَ فَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ بِثَمَنِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ (حسن)

हज़रत बराअ रज़ि० कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल० के पास आया और कहा "मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत से क़रीब कर दे और जहन्नम से दूर हटा दे?" आप सल्ल० ने फ़रमाया "जान को आज़ाद कर और ग़ुलामों को निजात दिला।" उसने कहा "या रसूलुल्लाह सल्ल०! क्या दोनों एक ही नहीं हैं?" आप सल्ल० ने फ़रमाया "नहीं, जान आज़ाद करना यह है कि तू अकेला आज़ाद करे ग़ुलाम को निजात दिलाना यह है कि तू उसकी क़ीमत अदा करने में मदद करे।" इसे अहमद और दारे क़ुत्नी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 94. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले को ज़कात देना जाइज़ है।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

1. सहीह मुस्लिम किताबुज़्ज़कात, अध्याय अताई अलमुअल्लिफ़ा।
2. नैलुल अवतार, किताबुज़्ज़कात, अध्याय क़वलुहू तआला व फी अर्रिकाब।

Www.IslamicBooks.Website

अता बिन यसार रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "मालदार आदमी के लिए ज़कात हलाल नहीं, मगर पांच सूरतों में 1. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए। 2. आमिल (अफ़सर) ज़कात के लिए। 3. तावान भरने वाले के लिए। 4. उस मालदार आदमी के लिए जो अपने माल से किसी ग़रीब को ज़कात में दी गई कोई चीज़ ख़रीदना चाहे। 5. उस मालदार आदमी के लिए जिसका पड़ौसी मोहताज था किसी ने उस मिस्कीन को ज़कात में कोई चीज़ दी और मिस्कीन ने मालदार (पड़ौसी) को हदया के तौर पर दे दी।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : 1. जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में लड़ना) में मैदाने जंग की लड़ाई के अलावा हज और उमरा भी शामिल है।

2. कुछ उलमा के नज़दीक़ दीन की सरबुलन्दी, दीन की तैयारी और इशाअत के सभी काम जैसे दीनी मदारिस की तामीरात की देखभाल दीनी किताबों की इशाअत और बांटना आदि भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है।

3. जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की मद में जमाशुदा पैसे पर ज़कात नहीं।

4. हदीस शरीफ़ के चौथे नम्बर में केवल इस सन्देह को दूर किया गया है कि ग़रीब आदमी को ज़कात में दी गई कोई चीज़ मालदार (उस ग़रीब आदमी को ज़कात देने वाले के अलावा) ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है और पांचवे नम्बर में इस सन्देह को दूर किया गया है कि कोई मालदार आदमी किसी ग़रीब आदमी को ज़कात में दी गई चीज़ का (ग़रीब आदमी की तरफ़ से) हदिया क़बूल कर सकता है। वरना ज़कात के असल हक़दार पहले तीन आदमी ही हैं चाहे वे मालदार ही हों।

मसला 95. दौराने सफ़र में ज़रूरत पड़ने पर मुसाफ़िर को ज़कात देनी जाइज़ है चाहे अपने घर में मालदार ही हो।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 143

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (حَسَنٌ)

हज़रत अबू सईद रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "सदक़ा आदमी के लिए हलाल नहीं मगर उस आदमी के लिए जो अल्लाह तआला के रास्ते में निकला हुआ हो या मुसाफ़िर के लिए या जो फ़क़ीर पर सदक़ा किया गया और उसने किसी ग़नी आदमी को हदिए के तौर पर दे दिया या उसकी दावत की।" (अर्थात मालदार को फ़क़ीर का हदिया या दावत क़ुबूल करना जाइज़ है चाहे वह हदिया और दावत ज़कात के माल से की गई हो) इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 96. ज़कात केवल मुसलमानों को देनी जाइज़ है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने जब हज़रत मआज़ रज़ि० को यमन भेजा तो फ़रमाया "तुम अहले किताब के पास जा रहे हो उन्हें तौहीद व रिसालत की दावत दो, अगर वे तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह तआला ने तुम पर दिन-रात में पंजगाना नमाज़ फ़र्ज़ की है। अगर वे तुम्हारी यह बात भी मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह तआला ने तुम पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो कि तुम्हारे मालदारों

1. नैलुल अवतार किताबुज़्ज़कात, अध्याय अल सर्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह व इब्ने अलसबील।

Www.IslamicBooks.Website

से ली जाएगी और तुम्हारे मोहताजों को दी जाएगी। अगर वे तुम्हारी यह बात भी मान लें तो ख़बरदार उनके अच्छे माल न लेना, और मज़लूम की बद्दुआ से डरते रहना, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह तआला के बीच कोई पर्दा हाइल नहीं होता है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 97. ज़कात को तमाम मसारिफ़ में तक़्सीम करना ज़रूरी नहीं।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि हम नबी अकरम सल्ल० के पास बैठे थे कि एक सहाबी आया और कहने लगा "या रसूलल्लाह सल्ल० में हलाक हो गया।" नबी अकरम सल्ल० ने पूछा "क्या बात है?" उसने कहा "मैं रोज़े की हालत में पत्नी से सोहबत कर बैठा हूं।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने पूछा। "क्या तू एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है?" उसने कहा "नहीं" नबी अकरम सल्ल० ने फिर मालूम किया "क्या दो माह के लगातार रोज़े रख सकते हो?" उसने अर्ज़ किया "नहीं" नबी अकरम सल्ल० ने फिर पूछा "क्या साठ मिसकीनों को खाना खिला सकते हो?" उसने अर्ज़ किया "नहीं" नबी अकरम सल्ल० ने फिर फ़रमाया "अच्छा बैठ जाओ।" नबी अकरम सल्ल० थोड़ी देर रुके, हम अभी इसी हालत में बैठे थे कि आप

1. किताबुल ईमान अध्याय दुआई इला शहादतैन वमशस राइह अलइस्लाम।

Www.IslamicBooks.Website

सल्ल० की ख़िदमत में (ज़कात) की खजूरों का एक अर्क़ लाया गया, अर्क़ बड़े टोकरे को कहा जाता है। नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया "यह खजूरें ले जा और सदक़ा करदे?" उसने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल० क्या सदक़ा अपने से ज़्यादा मोहताज लोगों को दूं?" वल्लाह मदीना की सारी आबादी में कोई घर मेरे घर से ज़्यादा मोहताज नहीं।" रसूलुल्लाह सल्ल० हंस दिए यहां तक कि नबी अकरम सल्ल० की दाढ़ें नज़र आने लगीं। नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया। "अच्छा जाओ अपने घर वालों को ही खिला दो।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह बुख़ारी किताबुस्सोम अध्याय इज़ा जामेअ फ़ी रमज़ान।

Www.IslamicBooks.Website

مَنْ لاَّ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

ज़कात के ग़ैर हक़दार लोग

मसला 98. नबी अकरम सल्ल० और आप की औलाद के लिए ज़कात हलाल नहीं।

मसला 99. रसूलुल्लाह सल्ल० और आले रसूल सल्ल० माल ज़कात से बाला तर हैं।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० का रास्ते में (गिरी हुई) एक खजूर पर गुज़र हुआ तो आप सल्ल० ने फ़रमाया "अगर मुझे यह अन्देशा न होता कि यह खजूर सदक़े की न हो तो मैं इसे खा लेता।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि हज़रत हसन बिन अली रज़ि० ने सदक़े की खजूरों से एक खजूर लेकर मुंह में डाल ली। तो नबी सल्ल० ने फ़रमाया दूर कर, दूर कर, इसे फेंक दे।" फिर फ़रमाया "क्या तू जानता नहीं कि हम सदक़ा नहीं खाते।" इसे बुख़ारी, मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

---

1. सहीह मुस्लिम किताबुज़्ज़कात अध्याय तहरीम अलज़्ज़कात अलर्रसूलुल्लाह।
2. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात मा यज़कुरू फ़ी सदक़ाति अलन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ रज़ि० कहते हैं। कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "कि सदक़ात लोगों की मैल हैं और बेशक यह मुहम्मद सल्ल० और आले मुहम्मद के लिए हलाल नहीं है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : नबी अकरम सल्ल० की आल में आप सल्ल० की पाक पत्नियां, आले अली रज़ि०, आले अक़ील रज़ि०, आले जाफ़र रज़ि०, आले अब्बास रज़ि० और आले हारिस रज़ि० सब शामिल हैं।

मसला 100. ग़ैर मुस्लिम को ज़कात देना जाइज़ नहीं है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ..... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने हज़रत मुआज़ रज़ि० को यमन की तरफ़ भेजा (तो फ़रमाया) "लोगों को बताना कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों के मालों में सदक़ा फ़र्ज़ किया है जो मुसलमानों के मालदारों से लिया जाएगा और उनके फ़क़ीरों को दिया जाएगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 101. मालदारों और स्वस्थ आदमी के लिए ज़कात जाइज़ नहीं है।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صَحِيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि "ज़कात मालदारों और स्वस्थ आदमी के

1. सहीह मुस्लिम किताबुज़्ज़कात, अध्याय तहरीम अलज़्ज़कात अलर्रसूलुल्लाह।
2. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात।

Www.IslamicBooks.Website

लिए हलाल नहीं है।'' इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 102. मां बाप को ज़कात देना जाइज़ नहीं है।

عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه (صَحِيح)

हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ि० अपने बाप से वह अपने दादा रज़ि० से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल० के पास आया और कहा कि ''मैं साहिबे माल हूं और मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया ''तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है।'' और फ़रमाया ''औलाद तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है अपनी औलाद की कमाई से खाओ।'' इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

मसला 103. औलाद को ज़कात देना जाइज़ नहीं है।

मसला 104. पत्नी को ज़कात देना जाइज़ नहीं है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (حَسَنٌ)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल० के पास आया और कहा कि ''मेरे पास एक दीनार है।'' आप सल्ल० ने फ़रमाया ''इसे अपने आप पर ख़र्च कर।'' कहने लगा ''मेरे पास एक और है।'' फ़रमाया ''अपने बेटे पर ख़र्च कर'' कहने लगा ''मेरे पास एक और

---

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 528
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 351

Www.IslamicBooks.Website

है।'' फ़रमाया ''इसे अपनी पत्नी पर ख़र्च कर।'' कहने लगा ''मेरे पास एक और है।'' फ़रमाया ''अपने ख़ादिम पर ख़र्च कर।'' कहने लगा ''मेरे पास एक और है।'' फ़रमाया ''अब तू ज़्यादा जानता है।'' (जहां चाहे ख़र्च कर) इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : जिन क़राबतदारों का भरण पोषण आदमी के ज़िम्मे वाजिब है। उनको ज़कात देना जाइज़ नहीं है। जैसे मां, बाप, दादा पड़ दादा, बेटा, पोता, पड़पोता आदि और पत्नी।

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 1483

Www.IslamicBooks.Website

ذَمُّ الْمَسْئَلَةِ

सवाल करने की निन्दा

मसला 105. बेजा सवाल करने से बचना चाहिए।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हकीम बिन हिज़ाम रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, पहले अपने बाल बच्चों ग़रीबों को दो और अच्छी ख़ैरात वही है जिसको देकर आदमी मालदार रहे और जो कोई सवाल करने से बचना चाहेगा अल्लाह तआला उसको बचाएगा और जो कोई बेपरवाही की दुआ करे। अल्लाह तआला उसे बेपरवाह कर देगा। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "तुममें से कोई अपनी रस्सी लेकर (जंगल जाए) और लकड़ियों का एक गट्ठा अपनी पीठ पर उठाकर लाए फिर उसे बेचे और उसके सबब अल्लाह तआला उसकी आबरू रखे, (ऐसा करना) बहुत बेहतर है सवाल करने से (क्या मालूम) लोग उसे दें या न दें।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह बुख़ारी किताबुल बुयूअ अध्याय कसब अलर्रजुल।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 106. बेजा सवाल करने वाला हराम खाता है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 91 के अन्तर्गत देखें।

मसला 107. माल जमा करने के लिए मांगना आग के अंगारे जमा करना है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जो आदमी लोगों से उनके माल इसलिए मांगता है कि अपना माल बढ़ाए तो वह आग के अंगारे मांगता है अब चाहे तो कम मांगे चाहे तो ज़्यादा मांगे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 108. बेजा सवाल करने वाले का सवाल क़यामत के दिन उसके मुंह पर घाव की तरह नज़र आएगा।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ أَوْ خُدُوْشٌ أَوْ كُدُوْحٌ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ مَا الْغِنٰى؟ قَالَ : خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया है कि "जिसने अमीरी के बावजूद लोगों से मांगा वह क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका सवाल उसके मुंह पर छिले हुए घाव का निशान बना होगा।" आप से कहा गया कि "कितनी चीज़ धनी करती हैं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "पचास दिरहम या उसकी क़ीमत का सोना।" इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : पचास दिरहम लगभग 17 तोले चांदी के बराबर होते हैं।

---

1. सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह सुनन, अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1432

Www.IslamicBooks.Website

صَدَقَةُ الْفِطْرِ

सदक़ा फ़ित्र के मसाइल

मसला 109. सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ है।

मसला 110. सदक़ा फ़ित्र का उद्देश्य रोज़े की हालत में होने वाले गुनाहों से स्वयं को पाक करना है।

मसला 111. सदक़ा फ़ित्र नमाज़े ईद के लिए निकलने से पहले अदा करना चाहिए वरना आम सदक़ा शुमार होगा।

मसला 112. सदक़ा फ़ित्र के हक़दार वही लोग हैं जो ज़कात के हक़दार हैं।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه (حَسَنٌ)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "सदक़ा फ़ित्र रोज़ेदार को बेहूदगी और अशलील बातों से पाक करने के लिए और मोहताजों के खाने का इन्तिज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया गया है, जिसने नमाज़े ईद से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा किया उसका सदक़ा फ़ित्र अदा हो गया और जिसने नमाज़े ईद के बाद अदा किया उसका सदक़ा फ़ित्र आम सदक़ा शुमार होगा।" इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 113. सदक़ा फ़ित्र की मात्रा एक साअ है जो पौने तीन सैर या ढाई किलोग्राम के बराबर है।

मसला 114. सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान ग़ुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, पहला भाग, हदीस 1480

Www.IslamicBooks.Website

या औरत, छोटा हो या बड़ा, रोज़ेदार हो या ग़ैर रोज़े दार साहिबे निसाब हो या न हो सब पर फ़र्ज़ है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने रमज़ान का सदक़ा फ़ित्र एक साअ खजूर या एक साअ जौ ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया है। इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1] और ये शब्द मुस्लिम के हैं।[1]

स्पष्टीकरण : जिस व्यक्ति के पास एक दिन रात की ख़ूराक मयस्सर न हो वह सदक़ा फ़ित्र अदा करने से अपवाद है।

मसला 115. सदक़ा फ़ित्र ग़ल्ले की सूरत में देना बेहतर है।

मसला 116. गेहूं, चावल, जौ, खजूर, मुनक़्क़ा या पनीर में से जो चीज़ ज़ेरे इस्तेमाल वाली हो वही देनी चाहिए।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० फ़रमाते हैं कि "हम सदक़ा फ़ित्र एक साअ ग़ल्ले या एक साअ खजूर या एक साअ जौ या एक साअ मुनक़्क़ा या एक साअ पनीर दिया करते थे।" इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : ढाई किलोग्राम ग़ल्ला या उसकी क़ीमत अदा करना, दोनों ही तरह जाइज़ है।

मसला 117. सदक़ा फ़ित्र अदा करने का समय आख़िरी रोज़ा इफ़्तार करने के बाद शुरू होता है लेकिन ईद से एक या दो दिन पहले अदा किया

---

1. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय सदक़तुल फ़ित्र।
2. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय सदक़तुल फ़ित्र।

Www.IslamicBooks.Website

जा सकता है।

मसला 118. सदक़ा फ़ित्र घर के संरक्षक को घर के तमाम लोगों पत्नी बच्चों और नौकरों की तरफ़ से अदा करना चाहिए।

عَنْ نَافِعٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ..... يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتّٰى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत नाफ़े रज़ि० से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० घर के छोटे बड़े तमाम लोगों की तरफ़ से सदक़ा फ़ित्र देते थे यहां तक कि मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे, और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० उन लोगों को देते थे जो क़बूल करते, और ईदुलफ़ित्र से एक या दो दिन पहले देते थे। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

1. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय सदक़तुल फित्र।

Www.IslamicBooks.Website

صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

नफ़्ली सदक़ा

मसला 119. हराम माल से दी गई ज़कात या सदक़ा अल्लाह तआला क़बूल नहीं फ़रमाता।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صَحِيح)

हज़रत उसामा बिन उमैर रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "अल्लाह तआला वुज़ू के बिना नमाज़ और हराम माल से सदक़ा क़बूल नहीं फ़रमाता।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[1]

मसला 120. हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर दिया गया सदक़ा भी अल्लाह तआला क़बूल करता है।

मसला 121. हलाल कमाई से किए गए मामूली सदक़े का सवाब अल्लाह तआला कई गुना बढ़ाकर देते हैं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो कोई एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से सदक़ा करे, और अल्लाह तआला हलाल कमाई से ही सदक़ा क़बूल करता है। (हलाल कमाई से किया गया सदक़ा) अल्लाह तआला दाएं हाथ में लेता है उस के मालिक

1. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 2324

Www.IslamicBooks.Website

के लिए उसे पालता (बढ़ाता) रहता है, जिस तरह कोई तुम में से अपना बछड़ा पालता है। यहां तक कि वह (सदका) पहाड़ के बराबर हो जाता है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 122. सदक़ा अल्लाह तआला के ख़ास फ़ज़्ल व दया का कारण बनता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं आप ने फ़रमाया "एक व्यक्ति जंगल में खड़ा था उसने बादल से आवाज़ सुनी (किसी ने आवाज़ दी) कि फ़लां आदमी के बाग़ को पानी पिलाओ अतः बादल एक तरफ़ चला और अपना पानी एक पथरीली ज़मीन पर उंडेला अचानक नालियों में से एक नाले ने सारा पानी जमा कर लिया वह आदमी पानी के पीछे चला। देखा कि एक व्यक्ति अपने बाग़ में खड़ा है और अपने बेलचे से पानी इधर उधर बांट रहा है। उस आदमी ने कहा "अल्लाह के बन्दे तुम्हारा क्या नाम है?" उसने कहा "फलां" वही नाम जो उसने बादल से सुना था। फिर उसने मालूम किया कि "ऐ अल्लाह के बन्दे! तू मेरा नाम क्यों पूछता है?" उसने कहा "कि मैंने उस बादल से, जिसका यह पानी है अवाज़ सुनी थी कि फ़लां के बाग़ को पानी पिला और तेरा नाम लिया (मैं

1. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय सदक़ा।

Www.IslamicBooks.Website

जानना चाहता हूं) तू अपने बाग़ में क्या करता है?'' उसने कहा ''जब तूने पूछा है तो मैं बता देता हूं, कि जो कुछ मेरे बाग़ में पैदा होता है, उसका तिहाई हिस्सा सदक़ा कर देता हूं और एक तिहाई से मैं और मेरा ख़ानदान खाता है और एक तिहाई इस बाग़ में लगा देता हूं।'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 123. सदक़ा अल्लाह तआला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ وَ فِعْلُ الْمَعْرُوْفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ .

رَوَاهُ الْبَيْهَقِي (صحيح)

हज़रत अबू सईद रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया ''पौशीदा सदक़ा अल्लाह तआला के प्रकोप को ठंडा करता है, रिश्ते बनाता उम्र में वृद्धि करता है, सद व्यवहार आदमी को बुराई के गढ़े में गिरने से बचाता है। इसे बेहैक़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 124. क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साए में होगा।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صَحِيْح)

हज़रत उसामा बिन उमैर बिन आमिर रज़ि० नबी अकरम सल्ल० के कुछ सहाबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० से सुना आप सल्ल० फ़रमाते थे कि ''क़यामत के रोज़ सदक़ा ईमानदार के लिए साया होगा।'' इसे अहमद ने रिवायत किया है।[3]

मसला 125. मामूली चीज़ का सदक़ा भी आग से बचा सकता है।

---

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, हदीस 534
2. सहीह जामेअ सग़ीर, लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 3654
3. मिश्कातुल मसाबीह, किताबुज़्ज़कात, अध्याय फ़ज़्ल सदक़ा तीसरी फ़स्ल।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अदी बिन हातिम रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना "जहन्नम की आग से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 126. अफ़ज़ल तरीन सदक़ा पानी पिलाना है।

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (حَسَنٌ)

हज़रत सईद बिन उबादा रज़ि० से रिवायत है। उन्होंने कहा "कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० सईद की मां मर गई तो कौन सा सदक़ा बेहतर है।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "पानी पिलाना" उन्होंने एक कुआं खोदा और कहा कि "यह सईद की मां के (सवाब के) लिए है।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 127. सदक़े के लिए सिफ़ारिश करने वाले को भी सवाब मिलता है।

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू बुरदह रज़ि० अपने बाप अबू मूसा अशअरी रज़ि० से रिवायत करते हैं। कि जब नबी अकरम सल्ल० के पास कोई साईल आता या कोई आदमी अपनी हाजत बयान करता तो आप (लोगों से) फ़रमाते "तुम सिफ़ारिश करो तुम्हे भी सवाब मिलेगा, और अल्लाह तआला अपने पैग़म्बर की ज़बान से जो चाहेगा दिलाएगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 1474
3. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय तहरीस सदक़ा।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 128. सदक़ा देने से माल कम नहीं होता।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "सदक़ा देने से माल कम नहीं होता माफ़ करने से अल्लाह इज़्ज़त बढ़ाता है और विनय अपनाने पर अल्लाह बुलन्द दर्जा प्रदान करता है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

मसला 129. स्वास्थ्य और माल की इच्छा के ज़माने में सदक़ा देना बेहतर है।

मसला 130. सदक़ा देने में जल्दी करना चाहिए।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० कौन सा सदक़ा सवाब में अफ़ज़ल है?" आप सल्ल० ने फ़रमाया, वह सदक़ा जो तू स्वास्थ्य की हालत में करे, तुझे ग़ुरबत का भय भी हो और दौलत की इच्छा भी और (याद रखो) सदक़ा करने में देर न कर कहीं जान हलक़ में आ जाए और फिर तू कहे कि फ़लां के लिए इतना सदक़ा और फ़लां के लिए इतना सदक़ा यद्यपि उस समय तो तेरा माल ग़ैरों का हो ही चुका।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 131. मुसलमानों के बाग़ या खेत से जानवर जो खा जाएं वह

---

1. मिश्कातुल मसाबीह, किताबुज़्ज़कात, अध्याय फ़ज़्ल सदक़ा, पहली फ़स्ल।
2. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, अध्याय फ़ज़्ल सदक़ा।

Www.IslamicBooks.Website

सदक़ा है।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि रसूल अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "कोई मुसलमान नहीं जो पेड़ लगाए या खेती सींचे, फिर उससे इंसान या परिन्दे या चार पाए खाएं मगर वह इसलिए सदक़ा है।" इसे बुख़ारी, मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1] और यह शब्द बुख़ारी के हैं।

मसला 132. औरत अपने घर के ख़र्च से सदक़ा दे सकती है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जब औरत घर के खाने से सदक़ा दे बशर्ते कि (पति के साथ) बिगाड़ की नीयत न हो तो उसे उसका सवाब मिलेगा और उसके पति को कमाई करने का सवाब मिलेगा और ख़ज़ान्ची को भी उतना ही, और किसी का सवाब दूसरे के सवाब को कम नहीं करेगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 133. सदक़ा देकर वापस लेना जाइज़ नहीं और ख़रीदना अनुचित है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ

1. मिश्कातुल मसाबीह, किताबुज़्ज़कात, अध्याय फ़ज़्ल सदक़ा, पहली फ़स्ल।
2. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात,

Www.IslamicBooks.Website

فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ि० कहते हें कि मैंने एक घोड़ा सवारी के लिए अल्लाह की राह में दिया। जिसको दिया था उसने उसे नष्ट कर दिया (पूरी सेवा न की) तो मैंने उसको ख़रीदना चाहा और ख़्याल कि वह सस्ता बेच देगा। मैंने आंहज़रत सल्ल० से पूछा आप सल्ल० ने फ़रमाया "इसे मत ख़रीद और अपने सदक़े को वापस न लो, चाहे वह तुमको एक दिरहम में दे, क्योंकि सदक़ा देकर वापस लेने वाला ऐसा है, जैसे क़ै करके चाटने वाला है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 134. मय्यित की तरफ़ से सदक़ा करना जाइज़ है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صَحِيْح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मेरी मां मर गई है। अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उसे फ़ायदा होगा?" आपने फ़रमाया "हां" उसने कहा "मेरा एक बाग़ है मैं आपको गवाह करता हूं कि मैंने उसकी तरफ़ से सदक़ा कर दिया है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।[2]

मसला 135. फ़क़ीर आदमी, धनी या आले हाशिम के किसी व्यक्ति को सदक़े के माल से हदिया दे सकता है।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالُوا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صَحِيْح)

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० के पास गोश्त लाया गया आपने पूछा "यह गोश्त कैसा है?" कहा गया कि "बुरैदा (आज़ाद करदा लौंडी) पर किसी ने सदक़ा किया है।" आप सल्ल० ने

1. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात,
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 537

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाया "वह उसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 136. एहसान जतलाने से सदक़े का सवाब बर्बाद हो जाता है।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صَحِيح)

हज़रत अबू ज़र रज़ि० कहते हैं, कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "क़यामत के दिन अल्लाह तआला तीन आदमियों से न कलाम करेगा न उनकी तरफ़ देखेगा न उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। (1) देकर एहसान जताने वाला (2) तहबन्द लटकाने वाला (3) और झूठी क़सम खाकर अपना सौदा बेचने वाला।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।[2]

मसला 137. हर नेकी काम सदक़ा है।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० कहते हैं कि तुम्हारे नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया है "कि हर नेकी का काम सदक़ा है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[3]

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, 1457
2. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 2404
3. सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात,

Www.IslamicBooks.Website

مَسَائِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ

फुटकर मसाइल

मसला 138. हुकूमत ज़कात लेले तो आदमी फ़र्ज़ से बरी हो जाता है।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (حَسَنٌ)

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्ल० से कहा जब मैं ज़कात आपके क़ासिद को दे दूं तो क्या मैं अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्ल० के यहां बरी हो गया?" आपने फ़रमाया "यहां जब तूने मुझे अदा कर दिया, तो तू अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० के यहां बरी हो गया तुझे उसका सवाब मिलेगा और जो उसमें से नाजाइज़ इस्तेमाल करेगा उसका गुनाह उसी पर है।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 139. पत्नी का अपने व्यक्तिगत माल से ग़रीब पति को ज़कात देना न केवल जाइज़ बल्कि बेहतर है।

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِاللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ

1. नैलुल अवतार, किताबुज़्ज़कात,

Www.IslamicBooks.Website

امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا؟ قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० की पत्नी हज़रत ज़ैनब रज़ि० कहती हैं कि मैंने मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्ल० को देखा। आपने फ़रमाया "सदक़ा करो अगरचे अपने ज़ेवरों से हो और हज़रत ज़ैनब रज़ि० हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० पर और कुछ यतीमों पर जो उनकी परवरिश में थे ख़र्च किया करती थीं। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० से कहा "नबी अकरम सल्ल० से पूछो कि अगर मैं अपना सदक़ा अपने पति और कुछ यतीम बच्चों को जो मेरी परवरिश में हैं, दे दूं तो क्या सही है?" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने कहा "तुम ही जाकर नबी सल्ल० से मालूम कर लो।" आख़िर हज़रत ज़ैनब रज़ि० आप सल्ल० के पास आईं। वहां एक अंसारी औरत को दरवाज़े पर पाया। वह भी मेरे जैसा मसला पूछने आई थी। इतने में हज़रत बिलाल रज़ि० हमारे सामने से निकले, हमने उनसे कहा कि "नबी अकरम सल्ल० से पूछो कि अगर मैं अपने पति और कुछ यतीमों को जो मेरी परवरिश में हैं ज़कात दूं तो क्या सही है?" हमने कह दिया कि हमारा नाम न लेना।" हज़रत बिलाल रज़ि० ने आप सल्ल० से अर्ज़ किया कि "दो औरतें यह मसला पूछती हैं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "कौन सी औरतें?" हज़रत बिलाल रज़ि० ने कहा "ज़ैनब नामी" आप सल्ल० ने फ़रमाया "कौन सी ज़ैनब?" हज़रत बिलाल रज़ि० ने कहा "अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की पत्नी" आप सल्ल० ने फ़रमाया "बेशक सही है और उनको दोगुना सवाब मिलेगा एक तो क़राबतदारी का सवाब दूसरा ज़कात का सवाब।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[1]

मसला 140. अपने रिश्तेदार व नातेदार और रिश्तेदारों को ज़कात देना अफ़ज़ल है।

1. सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात,

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه (صَحِيح)

हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "मिसकीन को ज़कात देना इकहरा सवाब है और रिश्तेदार को ज़कात देना दोहरा सवाब है। एक ज़कात और दूसरा रिश्ते निभाने का।" इसे तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।[1]

मसला 141. ग़लती से ज़कात सदक़ा ग़ैर हक़दार या अवज्ञाकारी आदमी को दे दिया जाए तब भी उसका पूरा सवाब मिल जाता है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "एक आदमी ने कहा कि मैं आज की रात सदक़ा दूंगा। वह अपना सदक़ा लेकर निकला और एक ज़ानिया औरत के हाथ में दे दिया। सुबह को लोग चरचा करने लगे कि रात एक ज़ानिया को सदक़ा दिया गया है।" उसने कहा "ऐ अल्लाह! प्रशंसा तेरे ही लिए है मेरा सदक़ा ज़ानिया को मिल गया।" उसने कहा "कि मैं आज रात फिर सदक़ा करूंगा" वह सदक़ा लेकर निकला

1. सहीह सुनन नसाई, लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 2420

Www.IslamicBooks.Website

और एक मालदार को दे दिया। लोगों ने बातें कीं कि आज कोई मालदार को सदक़ा दे गया। उसने कहा "ऐ अल्लाह प्रशंसा तेरे ही लिए है मेरा सदक़ा मालदार के हाथ लग गया है। मैं आज फिर सदक़ा दूंगा।" वह सदक़ा लेकर निकला और एक चोर के हाथ में दे दिया। सुबह लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि "रात किसी ने चोर के हाथ में सदक़ा दे दिया" उसने कहा कि "ऐ अल्लाह! प्रशंसा तेरे ही लिए है। मेरा सदक़ा ज़ानिया, मालदार और चोर के हाथ लग गया।" तो उसे सपने में कहा गया कि तेरे सब सदक़े क़ुबूल हो गए। ज़ानिया को इसलिए कि शायद वह ज़िना से बच जाए, मालदार को इसलिए कि शायद उसे शर्म आए और प्रेरणा हो और चोर को इसलिए कि शायद वह चोरी से बाज़ आ जाए।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।[1]

स्पष्टीकरण : अज़ीज़ व नातेदार और रिश्तेदारों में से मां बाप और सन्तान अपवाद हैं। उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। देखें मसला 102-103

मसला 142. ज़कात के हक़दार मिसकीन की परिभाषा।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "मिसकीन वह नहीं जो लोगों के पास घूमता रहता है। एक लुक़्मा या दो लुक़्मे एक खजूर या दो खजूर की इच्छा उसे दरबदर लिए फिरती है बल्कि (और हक़ीक़त में मिसकीन वह है जिसको इतनी दौलत नहीं मिलती जो उसे मांगने से) बे परवाह कर दे न ही कोई उसका हाल जानता है कि उसे सदक़ा दे। न ही वह किसी से सवाल करने को निकलता है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।[2]

---

1. सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात,
2. सहीह बुख़ारी, अध्याय क़ौलुल्लाहि तआला।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 143. दूसरों से सवाल न करने वाले के लिए रसूले अकरम सल्ल० ने जन्नत की ज़मानत दी है।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صَحِيْح)

हज़रत सौबान रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति मेरे साथ अहद करे कि लोगों से कुछ न मांगेगा तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूं।" हज़रत सौबान रज़ि० ने अर्ज़ किया "मैं अहद करता हूं।" अतः हज़रत सौबान रज़ि० किसी से कुछ न मांगते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[1]

मसला 144. आले हाशिम के किसी व्यक्ति या उनके किसी ग़ुलाम को ज़कात वसूल करने पर अफ़सर मुक़र्रर नहीं करना चाहिए।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا قَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ (صَحِيْح)

हज़रत अबू राफ़े रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने बनी मख़ज़ूम में से एक व्यक्ति को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। उस आदमी ने हज़रत अबू राफ़े रज़ि० ने कहा "अच्छा पहले में मालूम कर लूं।" फिर हज़रत अबू राफ़े रज़ि० (रसूलुल्लाह सल्ल० के ग़ुलाम) नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और आप से मसला पूछा आपने फ़रमाया "क़ौम का ग़ुलाम भी उन्हीं में से होता है और हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं है।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।[2]

मसला 145. क़र्ज़दार मालदार पर ज़कात वाजिब नहीं।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 1446
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1452

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا رَوَاهُ مَالِكٌ

हज़रत ख़ुसैफ़ा रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने सुलेमान बिन यसार रज़ि० से सवाल किया कि "एक आदमी मालदार है, और उसपर उतना ही क़र्ज़ भी है क्या उस पर ज़कात है।" उन्होंने कहा "नहीं" इसे मालिक ने रिवायत किया है।[1]

मसला 146. माले ज़िमार (जिस माल के वापस मिलने की उम्मीद न हो) ज़कात का हुक्म।

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارٌ رَوَاهُ مَالِكٌ

हज़रत अय्यूब बिन अबी तमीमा सख़्तियानी रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ने एक माल के सिलसिले में जिसे कुछ हाकिमों ने ज़ुल्म से छीन लिया था, लिखा कि "मालिक को उसका माल वापस करें और उसमें से गुज़रे हुए सालों की ज़कात वसूल कर लें इसके बाद फिर ख़त लिखा कि उस माल से पिछले तमाम सालों की ज़कात न ली जाए बल्कि केवल एक बार ज़कात ले ली जाए, क्योंकि वह माले ज़िमार था।" इसे मालिक ने रिवायत किया है।[2]

स्पष्टीकरण : जिस माल के वापस मिलने का यक़ीन हो (जैसे क़र्ज़ आदि) उस पर साल के साल ज़कात अदा करना वाजिब है। लेकिन जिस माल के वापस मिलने की उम्मीद न हो जब मिल जाए तो पिछले तमाम सालों की ज़कात अदा करने के बजाए माले ज़िमार की तरह एक बार ज़कात अदा कर देना काफ़ी है।

---

1. मोत्ता इमाम मालिक, किताबुज़्ज़कात, अध्याय ज़कात।
2. मोत्ता इमाम मालिक, किताबुज़्ज़कात, अध्याय ज़कात,

Www.IslamicBooks.Website

اَلْاَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ

ज़ईफ़ और मौज़ूअ अहादीस

١ فِيْ الرِّكَازِ اَلْعُشْرُ

रुकाज़ (दफ़्न हुआ ख़ज़ाना) में दसवां हिस्सा ज़कात है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। विस्तार के लिए देखें। अलफ़वाइद अलमौज़ूअ फ़ी अला अहादी अल मौज़ूअ हदीस नम्बर 175।

٢ لَيْسَ فِى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

ज़ेवर में ज़कात नहीं है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस बे असल है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 178।

٣ أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

सवाली को कुछ दो चाहे वह घोड़े पर सवार होकर ही आए।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है। पिछला हवाला साबिक़ हदीस नम्बर 187।

٤ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُوْدَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

जिसके पास सदक़ा देने के लिए कुछ न हो वह यहूदियों पर लानत करे (उसकी तरफ़ से) यही सदक़ा होगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 190।

٥ مَنْ قُضِى لِمُسْلِمٍ حَاجَةٌ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا قَضَى اللهُ لَهُ اثْنَيْنِ حَاجَةً أَسْهَلَهَا الْمَغْفِرَةُ

जिसने दुनिया में किसी मोहताज की हाजत पूरी की अल्लाह तआला उसकी बहत्तर (72) हाजतें पूरी फ़रमाएगा जिन में सबसे कम तर दर्ज़े की

Www.IslamicBooks.Website

हाजत मग़फ़िरत होगी।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 203।

٦ مَنْ رَبَّى صَبِيًّا حَتَّى يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَمْ يُحَاسِبْهُ اللهُ

जिसने किसी बच्चे की परवरिश की यहां तक कि वह लाइलाहा इल्लल्लाह कहने लगे, अल्लाह तआला उससे हिसाब नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 208।

٧ إِنَّ السَّخِيَّ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَإِنَّ الْبَخِيْلَ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْفَاجِرُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ

दानवीर आदमी लोगों से क़रीब है। अल्लाह तआला और जन्नत के क़रीब है। आग से दूर है जबकि कंजूस अल्लाह तआला से दूर है। लोगों से दूर है, जन्नत से दूर है। आग के क़रीब है और अवज्ञाकारी दानवीर अल्लाह तआला को कंजूस आबिद से ज़्यादा पसन्द है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 211।

٨ اَلْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْخِيَاءِ

जन्नत दानवीर लोगों का घर का है।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 214।

٩ اَلسَّخِيُّ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَأَنِّيْ لَأَرْفَعُ عَنِ السَّخِيِّ عَذَابَ الْقَبْرِ

दानवीर मुझसे है और मैं दानवीर से हूं और मैं दानवीर से क़ब्र का अज़ाब हटा दूंगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 216।

Www.IslamicBooks.Website

١٠ حَلَفَ اللهُ بِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ

अल्लाह तआला ने अपनी इज़्ज़त, महानता और प्रताप की क़सम खाई कि कंजूस जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ है। पिछला हवाला हदीस नम्बर 222।

हमारी दावत यह है कि!

1. रसूले अकरम सल्ल० ने उम्मत को जिस बात का हुक्म दिया है या जिसे स्वयं किया है या जिसे करने की इजाज़त दी है उसे ठीक ठीक उसी तरह कीजिए और जिस बात से आप सल्ल० ने मना फ़रमाया है उससे रुक जाइए इरशाद बारी तआला है :

> "जो कुछ रसूल तुम्हें दें वह ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ।" (सूरह हश्र, आयत : 7)

2. रसूले अकरम सल्ल० ने दीन के मामले में जो काम सारे पवित्र जीवन में नहीं किया, वह काम अपनी मर्ज़ी से करके अल्लाह के रसूल सल्ल० से आगे बढ़ने का साहस न कीजिए। इरशाद बारी तआला है :

> "ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो।" (सूरह हुजुरात, आयत : 1)

3. रसूले अकरम सल्ल० का आज्ञापालन और अनुसरण के मुक़ाबले में किसी दूसरे की आज्ञा का पालन और अनुसरण करके अपने कार्यों को बर्बाद न कीजिए। इरशाद बारी तआला है :

> "ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो! अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, रसूल की इताअत करो और (किसी दूसरे की आज्ञा का पालन करके) अपने कर्म बर्बाद न करो।"
>
> (सूरह मुहम्मद, आयत : 33)

जो लोग हमारी दावत से सहमत हों
हम उनसे सहयोग की प्रार्थना करते हैं!

Www.IslamicBooks.Website

"क़यामत का ब्यान"

लेखक

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

जामिया नगर नई दिल्ली

Www.IslamicBooks.Website

"इस्लामी जीवन प्रणाली"

(اسلامی طرز زندگی)

जीवन के समस्त विभागों से सम्बंधित कुरआन व सुन्नत की शिक्षायें

लेखक

शेख़ अबू बकर जाबिर

अल जज़ाईरी हिफ़ज़ुल्लाह

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

जामिया नगर नई दिल्ली

पेज संख्या 912 मूल्य 300/-

Www.IslamicBooks.Website

Zakaat Ke Masail

Al-Kitab International الکتاب انٹرنیشنل

Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph.: 26986973 M. 9312508762

Www.IslamicBooks.Website